सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2018-19

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2–3
2.	रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का अवलोकन	4–16
3.	विभाग की योजनाएं	17–21
4.	पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)	22–27
5.	पेट्रोरसायन संवर्धन योजनाएं	28–30
6.	अन्तर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां	31–33
7.	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	34–40
8.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	41–51
9.	स्वायत्त संस्थान	52–72
10.	संवर्धन गतिविधियां और प्रमुख घटनाएं	73–74
11.	सामान्य प्रशासन	75–84

अनुबंध

I	उत्पाद–वार स्थापित क्षमता और प्रमुख रसायनों का उत्पादन	85–88
II	उत्पाद–वार स्थापित क्षमता और प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन	89–93
III	रोटरडेम कन्वेंशन के तहत खतरनाक रसायन	94–95
IV	संगठन चार्ट	96

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उद्देश्य है::

i. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के वृद्धि एवं विकास के लिए नीतियाँ व कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना; और

ii. उद्योग के उपर्युक्त क्षेत्रों के चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी का माहौल बनाना।

1.2 विभाग को निम्नांकित व्यापक विषय–वस्तुओं से संबंधित कार्य को निष्पादित करने का अधिदेश प्राप्त है:–

i. कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46 के प्रशासन को छोड़कर) कीटनाशक;

ii. डाई–सामग्री और डाई–इंटरमीडिएट;

iii. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हों;

iv. विभाग द्वारा देखे जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास और उनकी सहायता;

v. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी – उससे संबंधित विशेष कानून;

vi. पेट्रोरसायन;

vii. गैर–सेल्युलोज सिंथेटिक फाइबर (नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रीलिक इत्यादि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग;

viii. सिंथेटिक रबर; और

ix. प्लास्टिक के फेब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डिड सामग्री।

1.3 विभाग के पांच प्रमुख प्रभाग हैं – रसायन, पेट्रोरसायन, प्रशासन, सांख्यिकी एवं मॉनीटरिंग (एसएंडएम) और आर्थिक प्रभाग। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तीनों विभागों का एक ही एकीकृत वित्त प्रभाग है।

1.4 रसायन सेक्टर में तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) नामतः हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिल (इंडिया) लि. तथा एचओसीएल की सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक सीपीएसयू, अर्थात्, ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) हैं। इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं।

1.5 श्री अनंत कुमार 12.11.2018 तक रसायन तथा उर्वरक मंत्री थे। श्री सदानंद गौड़ा ने 13.11.2018 से रसायन और उर्वरक मंत्री का कार्यभार संभाला। श्री मनसुख मांडविया और श्री राव इंद्रजीत सिंह रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। श्री पी. राघवेंद्र राव विभाग के सचिव हैं।

* * * * *

अध्याय – 2

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का अवलोकन

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग :

2.1 रसायन उद्योग एक ज्ञान उन्मुख एवं पूंजी प्रधान उद्योग है। यह उद्योग, बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न घटक है। इसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, रंग, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र एंव प्रसाधन सामग्री और औषधि शामिल हैं। रसायन उद्योग के भीतर व्यापक विविधता है और इसमें अस्सी हजार से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। यह उद्योग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक एवं कृषि विकास की रीढ़ है तथा यह कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों जैसे वस्त्र, कागज, रंग, वार्निश, साबुन, डिटर्जेंट, औषधि आदि के लिए मूलभूत सामग्री प्रदान करता है।

2.2 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 के अनुसार, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, उद्योग खंड 20 के अंतर्गत शामिल हैं। इस खंड में 4–अंक स्तर पर उत्पाद समूहों का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 1 – उत्पाद समूहों का विवरण

श्रेणी	विवरण
2011	मूल रसायनों का विनिर्माण
2012	उर्वरक व नाइट्रोजन कंपाउन्ड का विनिर्माण
2013	प्राथमिक रूप में प्लास्टिक एवं सिंथेटिक रबर का विनिर्माण
2021	कीटनाशक एवं अन्य कृषि–रसायन उत्पादों का विनिर्माण
2022	रंग, वार्निश एवं समान कोटिंग्स, प्रिंटिंग स्याही एवं मास्टिक्स का विनिर्माण
2023	साबुन एवं डिटर्जेंट, क्लीनिंग एवं पॉलिशिंग तैयारी, इत्र एवं प्रसाधन सामग्री का विनिर्माण
2029	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण एन.ई.सी.
2030	मानव निमित फाइबर का निर्माण

एनआईसी 2004 का औद्योगिक प्रभाग 24, एनआईसी 2008 के औद्योगिक प्रभाग 20 (रसायन एवं रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण), 21 (औषध, चिकित्सा रसायन एवं पादप उत्पादों का विनिर्माण) तथा 268 (मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मीडिया का विनिर्माण) के समकक्ष है।

2.3 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांखयिकी 2018 के अनुसार, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद क्षेत्र (एनआईसी 2008 का उद्योग खण्ड 20 एवं 21) वर्ष 2015–16 में 1.49% की तुलना में वर्ष 2016–17 में सभी आर्थिक कार्यकलापों के लिए सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) का 1.41% (2011–12 के मूल्य पर) था। वर्ष 2011–12 के मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र की सकल मूल्य वर्द्धन में हिस्सेदारी, वर्ष 2015–16 में 8.24% की तुलना में 2016–17 के दौरान 7.76% थी। औषध क्षेत्र सहित, रसायन और रसायनिक उत्पाद क्षेत्र (एनआईसी 2008 का उद्योग खंड 20 और 21) 2015–16 में 2.68%की तुलना में 2016–17 के दौरान सभी आर्थिक कार्यकलापों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का 2.66% (2011–12 के मूल्य पर) था। वर्ष 2011–12 की मूल्य पर विनिर्माण के क्षेत्र में इस क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 2015–16 में 14.83% की तुलना में 2016–17 में 14.58% थी। रसायन और रासायनिक उत्पादों के औद्योगिक उत्पादन का औसतन सूचकांक (एनआईसी 2008 का उद्योग खंड 20) पर आधारित सीएजीआर 2014–15 से वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान 2.13% है। भारतीय रसायन उद्योग (एनआईसी 2008 के उद्योग खंड 20 एवं 21) का आकार, उत्पादन मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2016–17 में 6,83,538 करोड़ रुपए था, जबकि औषध सहित, भारतीय रसायन उद्योग (एनआईसी 2008 का उद्योग खंड 20 और 21) का आकार उत्पादन मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2016–17 में 10,81,265 करोड़ रु. था।

2.4 चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान तालिका–II में प्रस्तुत है। कुल प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2017–18 में 26,738 हजार मीट्रिक टन की तुलना में 2018–19 में 27,847 हजार मीट्रिक टन था, जो 4.15% की वृद्धि दर दर्शाता है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान कुल रसायन और पेट्रोरसायन के उत्पादन में सीएजीआर 4.77% है।

तालिका II: चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

समूह	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सीएजीआर (%)
एल्कली रसायन	6625	6802	7009	7631	8043	4.97
अकार्बनिक रसायन	944	1002	1053	1058	1064	3.04
कार्बनिक रसायन	1619	1589	1638	1799	1884	3.86
कीटनाशक	186	188	214	213	217	3.93
रंजक एवं रंग द्रव्य	285	304	320	367	370	6.74
कुल प्रमुख रसायन	9660	9884	10234	11068	11578	4.63
सिंथेटिक फाइबर	3532	3558	3599	3625	3601	0.48
पॉलीमर्स	7558	8839	9163	9276	10040	7.36

इलास्टोमर्स (सिंथेटिक रबर)	172	242	285	308	351	19.52
सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट्स	596	566	664	743	687	3.62
परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स	1591	1700	1799	1719	1589	–0.03
कुल प्रमुख पेट्रोरसायन	13448	14905	15510	15670	16269	4.88
कुल प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायन	23108	24789	25744	26738	27847	4.77

नोट : वृहत एवं मध्यम आकार के अंतर्गत विनिर्माताओं से मासिक उत्पादन रिटर्न पर आधारित कुल रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादन समाहित है। प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों की स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद–वार और समूह–वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध दृ ५ एवं -Iमें है।

रसायन क्षेत्र – उत्पादन रूझान

2.5 तालिका–II से यह देखा जा सकता है कि 2018–19 के लिए प्रमुख रसायनों के कुल उत्पादन का 69**%** हिस्सा एल्कली रसायनों का है। प्रमुख रसायनों का उत्पादन इसी अवधि के लिए वर्ष 2017–18 में में 11,068 हजार मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2018–19 में 11,578 हजार मीट्रिक टन है जो 4.61**%** की वृद्धि दर्शाता है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान कुल मूल प्रमुख रसायनों के उत्पादन में सीएजीआर 4.63**%** है। चुनिन्दा प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रूझान चार्ट–I में दर्शाया गया है।

चार्ट – I प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रूझान

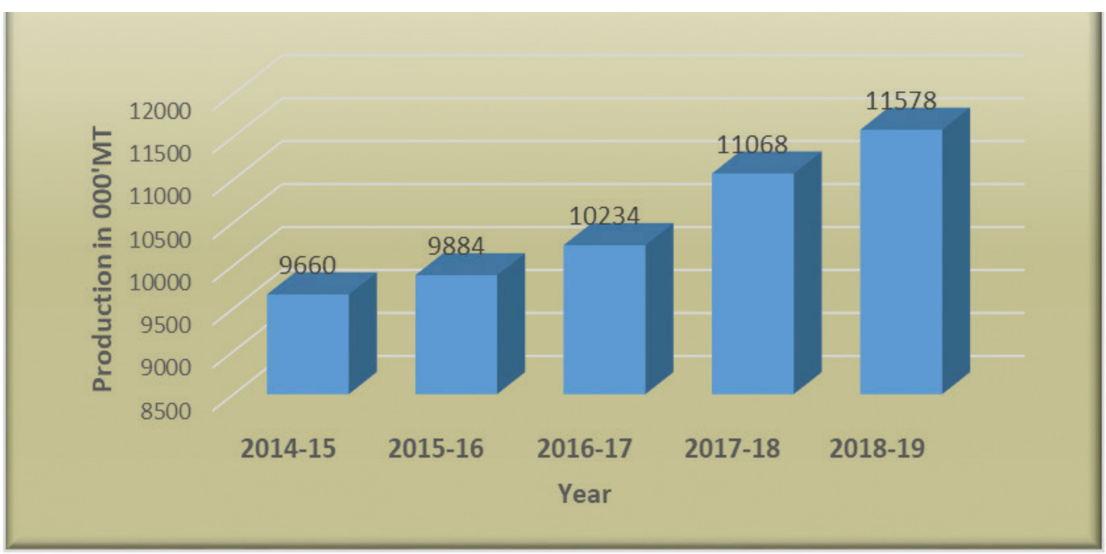

पेट्रोरसायन क्षेत्र – उत्पादन रूझान

2.6 पेट्रोरसायन को, जिसमें प्लास्टिक एवं अन्य रसायन शामिल हैं, डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और यह कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य संवर्धन, संभावना के नए द्वार खोलता है और जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे वस्त्र एवं परिधान, कृषि, पैकिंग, अवसंरचना, स्वास्थ्य देखरेख, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार, सिंचाई, पेय जल, निर्माण एवं अन्य उपयोगी क्षेत्रों में तथा विशेष उपयोग के उभरते क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है।

2.7 देश में दो नेफ्था–आधारित, दो गैस–आधारित और सात डयूल फीड क्रैकर कॉम्पलेक्स हैं, जिनकी समग्र वार्षिक इथाइलिन क्षमता 7.27 मिलियन मीट्रिक टन है।

2.8 तालिका–II से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018–19 के लिए पॉलीमर का उत्पादन मूल प्रमुख पेट्रो–रसायन के कुल उत्पादन का लगभग 61% है। मूल प्रमुख पेट्रोरसयानों का उत्पादन वर्ष 2017–18 में 15,670 हजार मीट्रिक टन की तुलना में 2018–19 में 16,269 हजार मीट्रिक टन है जो 3.82% की वृद्धि दर्शाता है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान प्रमुख पेट्रोरसायनों के उत्पादन में सीएजीआर 4.88% है। चुनिंदा प्रमुख पेट्रो–रसायनों के उत्पादन के रूझान को चार्ट–II में दर्शाया गया है।

चार्ट–II प्रमुख पेट्रोरसायनों के उत्पादन का रूझान

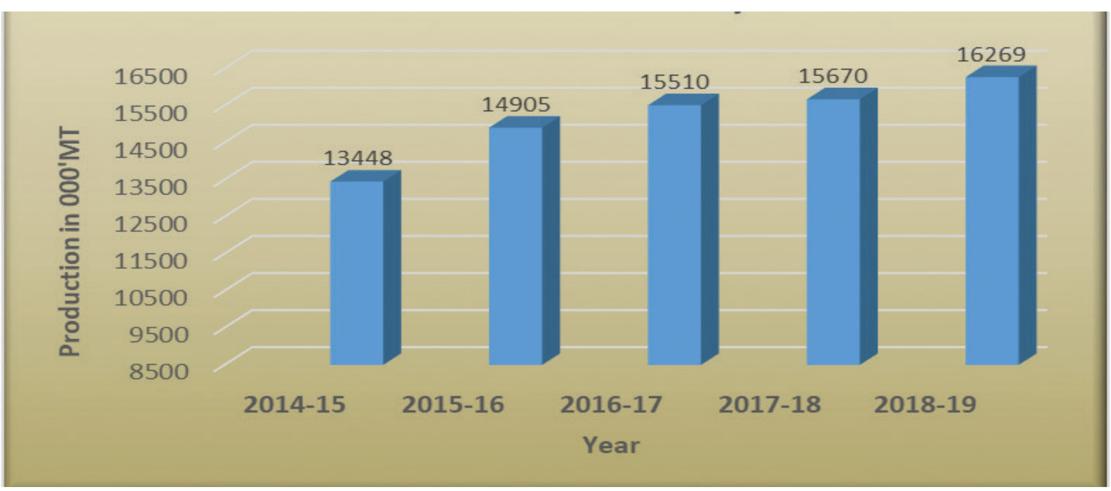

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

2.9 रसायन एवं रसायन उत्पादों का भार (एनआईसी 2008 का औद्योगिक खंड 20) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक 100 में 7.87 (आधार वर्ष 2011–12) है। सामान्य सूचकांक मार्च,

2019 के माह में 140.20 है जो मार्च, 2018 के माह के स्तर की तुलना में 0.07% कम है। अप्रैल से मार्च, 2018–19 की अवधि के लिए सामान्य सूचकांक की संचयी वृद्धि, गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 3.57% है। विनिर्माण क्षेत्र में मार्च, 2019 माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 139.60 है, जो मार्च, 2018 माह के स्तर की तुलना में 0.43% कम है, जबकि रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के लिए मार्च, 2019 माह में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 122.20 है, जोकि मार्च, 2018 माह के स्तर की तुलना में 1.18% अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र में संचयी वृद्धि वर्ष 2017–18 की संगत अवधि की तुलना में अप्रैल से मार्च, 2018–19 में 3.48% रही है जबकि 2017–18 की संगत अवधि की तुलना में अप्रैल–मार्च, 2018–19 के दौरान रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों में संचयी वृद्धि 2.38% रही है। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का माह–वार ब्यौरा तालिका–III में दिया गया है।

तालिका–III औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष– 2011–12 = 100)

भार	रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	विनिर्माण	सामान्य
भार	**7.87**	**77.63**	**100.00**
अप्रैल–17	108.60	117.30	117.30
मई–17	113.60	125.60	124.80
जून –17	110.20	120.30	119.30
जुलाई –17	111.70	119.30	118.00
अगस्त –17	117.10	124.10	122.10
सितम्बर –17	118.50	125.60	123.10
अक्टूबर –17	116.90	123.70	122.50
नवम्बर –17	119.10	127.70	125.80
दिसम्बर –17	119.00	132.00	130.60
जनवरी –18	120.10	133.80	132.30
फरवरी –18	110.90	129.70	127.40
मार्च –18	126.90	140.20	140.30

अप्रैल–18	112.90	123.10	122.60
मई–18	119.90	130.10	129.60
जून –18	116.50	128.60	127.70
जुलाई –18	116.40	127.60	125.70
अगस्त –18	126.00	130.60	128.00
सितम्बर –18	120.30	131.60	128.80
अक्टूबर –18	118.0	133.9	132.8
नवम्बर –18	110.90	126.80	126.10
दिसम्बर –18	122.40	135.80	133.90
जनवरी –19	122.60	135.20	134.20
फरवरी –19	111.50	129.20	127.50
मार्च –19	128.40	139.60	140.20

स्त्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

2.10 वर्ष 2013–14 से 2018–19 तक विनिर्माण के संबंध में सामान्य आईआईपी एवं आईआईपी की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के आईआईपी का बर्ताव तालिका–IV और चार्ट–III में दर्शाया गया है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान आईआईपी पर आधारित रसायन और रसायन उत्पादों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.13**%** है जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह 3.83**%** है।

तालिका – IV : औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

(आधार वर्ष– 2011–12 = 100)

विवरण	भार	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सीएजीआर
रसायन और रसायन उत्पाद	7.87	109.2	113.7	116.5	116.1	118.8	2.13
विनिर्माण उत्पाद	77.63	112.7	115.9	121	126.6	131	3.83
सामान्य	100.00	111.0	114.7	120	125.3	129	3.99

स्त्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट।

चार्ट–III औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत सूचकांक

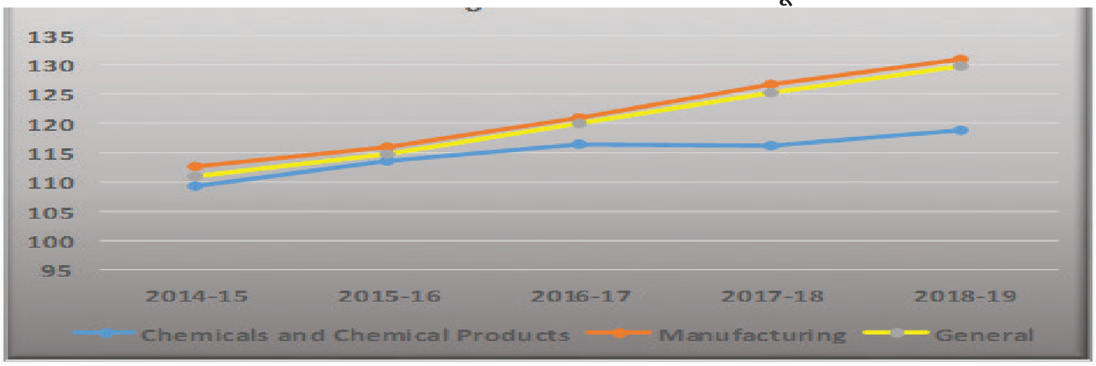

थोक बिक्री मूल्य, सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

2.11 आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा 'सभी उत्पादों' के लिए जारी मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्षः 2011–12) के आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर मार्च, 2018 की तुलना में मार्च, 2019 में 3.81% थी। इसी अवधि के दौरान, ''खाद्य पदार्थों'' के समूह के लिए सूचकांक में 5.68% की वृद्धि, ''विर्निमित उत्पाद'' के लिए 2.16% और ''रसायन एवं रासायनिक उत्पाद'' समूह के लिए 3.64% की वृद्धि दर्ज की गई। रसायन एवं रसायानिक उत्पादों का भार डब्ल्यूपीआई में सभी उत्पादों के 100 भार की तुलना में 6.47 है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2019 तक के दौरान डब्ल्यूपीआई का माहवार सूचकांक तालिका–V में दिया गया है।

तालिका – V थोक बिक्री मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष– 2011–12 = 100)

माह	सभी उत्पाद	खाद्य पदार्थ	विनिर्माण उत्पाद	रसायन और रासायनिक उत्पाद
अप्रैल–17	113.2	138.6	112.6	111.6
मई–17	112.9	137.9	112.6	111.7
जून –17	112.7	139.2	112.6	111.5
जुलाई –17	113.9	147.9	112.6	111.1
अगस्त –17	114.8	150.9	112.8	111.1
सितम्बर –17	114.9	144.8	113.7	111.3
अक्टूबर –17	115.6	148.0	113.7	111.9
नवम्बर –17	116.4	151.1	114.0	112.4
दिसम्बर –17	115.7	144.1	114.2	113.2
जनवरी –18	116.0	140.8	114.9	114.1

फरवरी –18	116.1	137.9	115.5	115.1
मार्च –18	116.3	137.3	115.8	115.5
अप्रैल–18	117.3	139.8	116.3	116.3
मई–18	118.3	140.3	116.9	117.4
जून –18	119.1	141.8	117.3	117.6
जुलाई –18	119.9	144.8	117.7	118.3
अगस्त –18	120.1	144.8	117.8	118.8
सितम्बर –18	120.9	144.5	118.4	119.6
अक्टूबर –18	122.0	145.9	118.9	120.5
नवम्बर –18	121.6	146.2	118.8	121.2
दिसम्बर –18	119.7	143.5	118.3	120.0
जनवरी –19	119.2	144.2	118.1	119.6
फरवरी –19	119.5	143.7	118.2	119.7
मार्च –19	120.0	145.1	118.3	119.7

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, (http%@@www-eaindustry-nic-in)

2.12 नीचे दी गई तालिका–VI और चार्ट–IV, वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक के दौरान, सभी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और निंमित उत्पादों की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाती हैं। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान रसायन और रासायनिक उत्पादों की औसत वार्षिक वृद्धि दर डब्ल्यूपीआई आधारित 0.63% है, जबकि निर्मित उत्पादों के लिए यह 1.48%है।

तालिका –VI : थोक बिक्री मूल्यों का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

(आधार वर्ष– 2011–12 = 100)

विवरण	भार	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सीएजीआर %
सभी उत्पाद	100	113.90	109.70	111.60	114.90	119.80	1.27
खाद्य पदार्थ	15.26	131.50	134.90	140.30	143.20	143.72	2.25
विनिर्मित उत्पाद	64.23	111.20	109.20	110.70	113.80	117.92	1.48
रसायन और रासायनिक उत्पाद	6.47	116.10	112.60	111.00	112.50	119.06	0.63

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, (http%@@www-eaindustry-nic-in)

चार्ट–IV रसायन और रासायनिक उत्पादों एवं अन्य सामग्रियों के थोक मूल्य सूचकांक

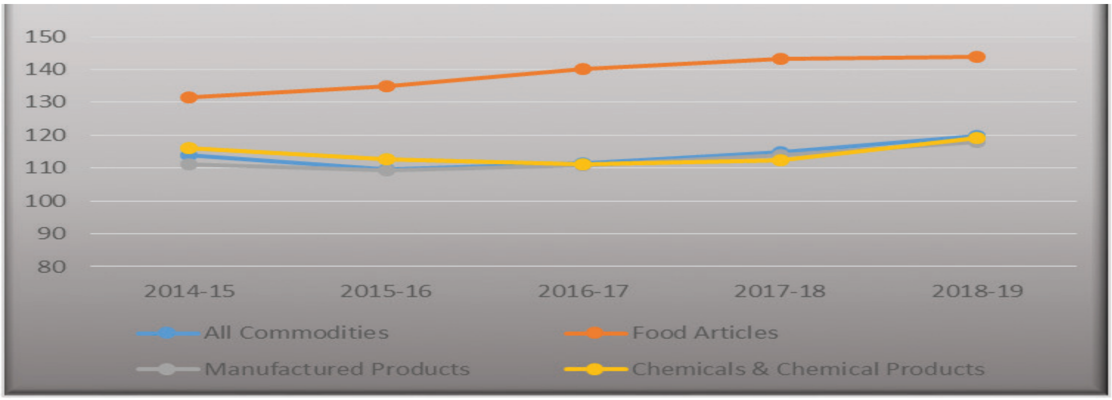

2.13 तालिका–VII, वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक के दौरान रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के अन्दर विभिन्न वस्तु समूहों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाती है–

तालिका – VII : रसायन एवं रासायनिक उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक

(आधार वर्षः 2011–12 = 100)

विवरण	भार	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
रसायन और रासायनिक उत्पाद	6.47	113.30	116.10	112.60	111.00	112.50
मूल रसायन	1.43	112.10	114.10	105.80	104.70	111.20
उर्वरक और नाइट्रोजन कम्पाउँड	1.48	116.50	118.90	121.40	118.70	117.10
प्राथमिक रूप में प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर	1.00	118.50	124.40	115.30	113.70	113.00
कीटनाशक और अन्य कृषि–रसायन उत्पाद	0.45	111.10	120.70	122.60	116.80	115.30
रंग, वार्निश और समान कोटिंग्स, प्रिंटिंग इंक और मास्टिक्स	0.49	109.70	111.90	109.80	108.50	108.60
साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और पॉलिश की सामग्री, इत्र और प्रसाधन सामग्री	0.61	111.50	112.40	112.30	113.70	115.20

अन्य रासायनिक उत्पाद	0.69	110.70	111.80	108.40	106.50	110.10
मानव निर्मित फाइबर	0.30	105.60	100.90	93.30	94.10	97.50

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (http%@@www-eaindustry-nic-in)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

2.14 वर्ष 2014–15 से 2017–18 के दौरान रसायन और रासायनिक उत्पादों (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) के निर्यात और आयात का रूझान तालिका–VIII तथा चार्ट–V और चार्ट VI में दिया गया है।

तालिका VIII : निर्यात और आयात–रसायन और रासायनिक उत्पाद (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा)

क. निर्यात (करोड़ रु. में)

एच एस कोड	उत्पाद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सीएजीआर (%)
	कुल राष्ट्रीय निर्यात	**1896445**	**1716384**	**1849434**	**1956515**	**2076262**	**2.29**
8	अकार्बनिक रसायन	8749	7913	9138	11175	12599	9.55
29	कार्बनिक रसायन	73069	75295	78386	95381	114027	11.77
32	टेनिंग या डाइंग	17206	16165	17189	18951	20825	4.89
38	विविध रसायन उत्पाद	19432	20083	21792	25080	28948	10.48
39	प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	31022	34381	35502	40928	51159	13.32
4002	सिंथेटिक रबर एवं फेक्टिस	379	452	480	571	686	15.95

54	मानव निर्मित फिलामेंट	14621	13460	13334	13984	14506	–0.20
55	मानव निर्मित फा. इबर	13334	13625	14373	13212	12018	–2.57
क : कुल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद		177813	181374	190193	219281	254768	9.41
कुल निर्यात में % अंश		9.4	10.6	10.3	11.2	12.3	

चार्ट–V : कुल रसायन एवं रसायन उत्पादों के निर्यात में रूझान

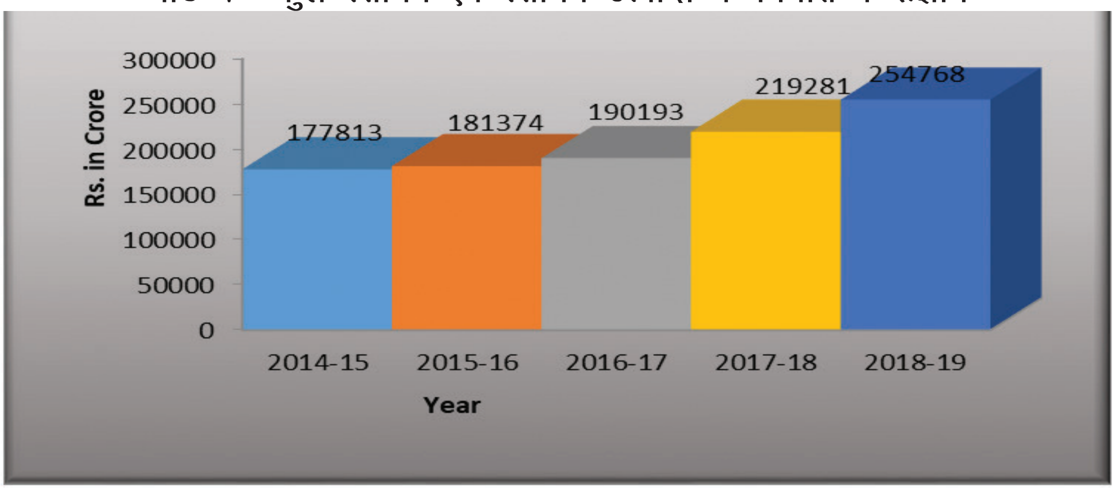

ख. आयात (करोड़ रु. में)

एच एस कोड	उत्पाद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सी एजी आर (%)
	कुल राष्ट्रीय आयात	**2737087**	**2490306**	**2577675**	**3001033**	**3285767**	**4.67**
28	अकार्बनिक रसायन	31413	33170	31654	38927	48911	11.71
29	कार्बनिक रसायन	108320	101986	103798	123761	144474	7.47
32	टेनिंग या डाइगिं	9821	10467	11186	12995	14103	9.47

38	विविध रासायनिक उत्पाद	25494	27207	30642	35521	38257	10.68
39	प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	71398	74566	77573	89768	97489	8.10
4002	सिंथेटिक रबर एवं फेक्टिस	6697	5205	5654	6687	7316	2.24
54	मानव निर्मित फिलामेंट	5042	4879	4856	5538	6270	5.60
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	4539	4401	3826	4658	6038	7.40
ख : कुल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद		**262722**	**261880**	**269189**	**317856**	**362858**	**8.41**
कुल आयात में % अंश		9.6	10.5	10.4	10.6	11.0	

चार्ट–VI : कुल रसायन एवं रसायन उत्पादों के आयात में रूझान

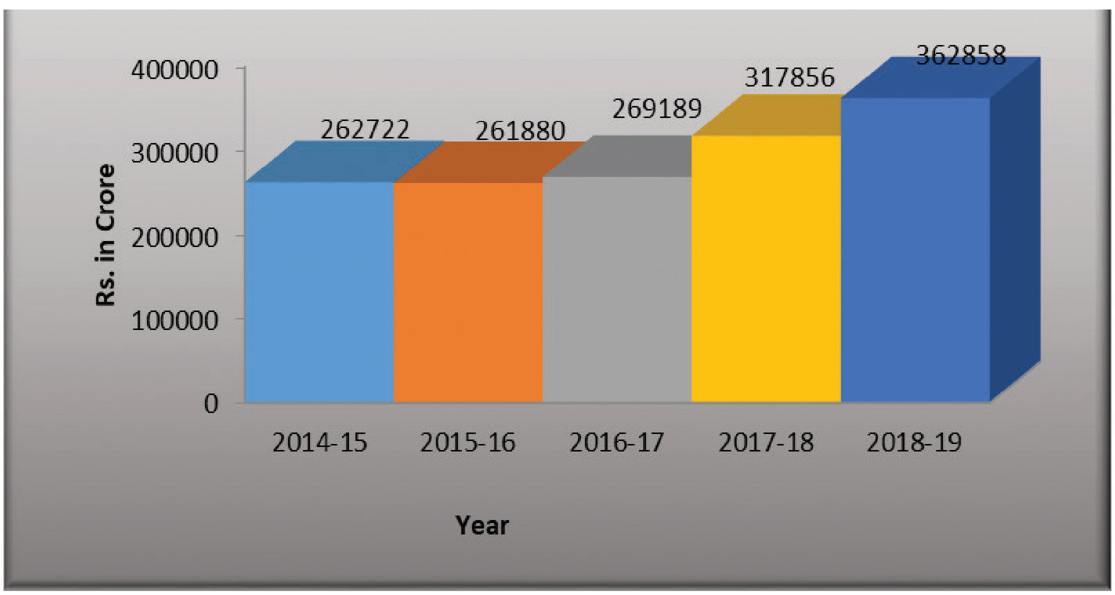

2.15 वर्ष 2018–19 के आयात के आंकड़ों के अनुसार, रसायनों और पेट्रोरसायन उत्पादों (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) का आयात वर्ष 2017–18 के कुल आयात के 10.6% की तुलना में वर्ष 2018–19 में 11% था, जबकि निर्यात वर्ष 2017–18 तक के कुल निर्यात के 11.2% की तुलना में वर्ष 2018–19 तक 12.3% था। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान कुल रसायन और रासायनिक उत्पादों (औषध और उर्वरक उत्पादों को छोड़कर) के निर्यात में सीएजीआर 9.41% है, जबकि कुल राष्ट्रीय निर्यात का सीएजीआर 2.29% है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान कुल रसायनों और रासायनिक उत्पादों (औषध और उर्वरक उत्पादों को छोड़कर) के आयात में सीएजीआर 8.41% है, जबकि कुल राष्ट्रीय आयात का सीएजीआर 4.67% है।

*****

अध्याय–3

विभाग की योजनाएं

3.1 सायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, केंद्रीय क्षेत्र की तीन योजनाओं, अर्थात असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी), पेट्रोरसायन की नई योजनाओं (प्लास्टिक पार्क्स स्कीम एंड स्कीम ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस) और रसायन संवर्धन एवं विकास योजनाओं (सीपीडीएस) का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अपने सचिवालय के खर्च का वहन करने, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) को सहायता, जो कि शैक्षणिक, प्रौद्योगिकीय सहयोग, अनुसंधान एवं कौशल विकास की गतिविधियों में संलग्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) और भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी) के लिए अन्य योजनाओं का भी क्रियान्वयन कर रहा है।

3.2 लगभग 2.8 लाख मीट्रिक टन पॉलिमर का उत्पादन करने के लिए मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) द्वारा असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना जुलाई, 2016 में माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) द्वारा अनुमोदित अंतिम संशोधित लागत 9965 करोड़ रु. है, जिसमें 5,239.45 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी, 3,307.88 करोड़ रुपये का ऋण और 1,417.67 करोड़ रु. की इक्विटी शामिल है। 5,239.45 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत सब्सिडी में से मार्च, 2019 तक 4,990.00 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। संयंत्र/परियोजना को 2 जुलाई, 2016 में शुरू किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 05.02.2016 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया।

3.3 विभाग संयंत्र प्रचालन की गहनता से निगरानी कर रहा है। रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति की सिफारिश पर बीसीपीएल के सामने आए प्रचालन मुद्दों को हल करने के लिए हितधारकों की समिति गठित की गई थी जिसकी अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं।

3.4 बीसीपीएल ने इस परियोजना को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए फीडस्टॉक सब्सिडी सहित कई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव दिया है।

3.5 समय सीमा में बढ़ोत्तरी, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव, मूल्य में उतार–चढ़ाव, सांविधिक प्रशुल्कों में वृद्धि आदि के कारण परियोजना की लागत और समय में और वृद्धि को देखते हुए बीसीपीएल ने 9965 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना लागत का प्रस्ताव दिया है।

परियोजना लागत में 1045 करोड़ रुपए की वृद्धि के प्रस्ताव को 549.45 करोड़ रुपए की पूंजी सबसिडी, 148.67 करोड़ रुपए की इक्विटी और 346.88 करोड़ रुपए के ऋण द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव था। वित्त मंत्रालय ने असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए वांछित 549.45 करोड़ रुपए में से बजट अनुमान 2017–18 के अंतर्गत 100 करोड़ रु. और बजट अनुमान 2018–19 के अंतर्गत 200 करोड़ रु. का आवंटन किया है और उनसे 249.45 करोड़ रुपए की शेष राशि के आवंटन के लिए संपर्क किया गया है।

3.6 प्लास्टिक पार्क स्कीम का बड़ा उद्देश्य रोजगार सृजन करने के साथ–साथ पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में योगदान करना है।

3.7 उत्कृष्टता केन्द्र योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सुधार लाने और पॉलिमरों और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के चिन्हित अनुसंधान संस्थान (नों) को सहायतानुदान प्रदान करना है।

3.8 यह विभाग रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस) के अधीन रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों के विकास के लिए ज्ञान अर्जन और प्रसार के लिए कार्यशालाएं, गोषठियां और अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।

3.9 यह विभाग सिपेट को अपनी सिविल एवं तकनीकी अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं तथा शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण पहलों को सशक्त बनाने और छात्रावासों के निर्माण तथा नए सिपेट केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजटीय सहायता प्रदान करता है।

3.10 आईपीएफटी, जोकि गुडग़ांव में स्थित है, इस विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसे पर्यावरण तथा उपयोगकर्ता–अनुकूल कीटनाशक तैयार किए जाने वाले प्रौद्योगिकियों का विकास करने तथा कीटनाशकों और उसके अवशेषों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने हेतु तरीकों को तैयार करने का भी अधिदेश प्राप्त है।

3.11 कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय को भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। अनुग्रह वाले मामलों के निपटान के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है

3.12 सचिवालय शीर्ष के अधीन किया जाने वाला व्यय आकस्मिक प्रकृति का है, जो विभाग के वेतन एवं कार्यालय व्यय आदि के भुगतान के लिए है।

तालिका – IX : योजनावार परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजनाएं	वास्तविक बजट अनुमान 2018–19	बजट अनुमान 2018–19 (प्रथम पूरक के पश्चात)	संशोधित अनुमान 2018–19**	बजट अनुमान 2019–20
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं				
1.	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)	0.01	200.01	200.00	100.00
2.	पेट्रोरसायन की नई योजनाएं	55.50	55.50	19.00	31.65
3.	रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)	3.00@	3.00@	2.50	3.00
.	I का कुल	58.51	258.51	221.50	134.65
II	अन्य केंद्रीय व्यय (सचिवालय/ बीजीएलडी/एबीएस/ पीएसयू)				
1.	सचिवालय	21.68	21.68	18.69	19.58
2.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	83.64	83.64	72.00	80.00
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ पे. स्टीसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)	7.50	7.50	7.50	8.00
4.	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	28.32	28.32	21.30	21.42
	II का कुल	141.14	141.14	119.49	129.00
	कुल योग (I + II)	199.65	399.65	340.99	263.65

@ इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के लिए 90.00 लाख रुपए का प्रावधान शामिल है।

** व्यय विभाग द्वारा यथा सूचित।

तालिका X वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का व्यय

क्र. सं.	योजना	बजट अनुमान 2017–18	संशोधित अनुमान 2017–18	व्यय 2017–18	संशोधित अनुमान 2017–18 के संबंध में व्यय का %	बजट अनुमान 2018–19 (2018–19 के प्रथम पूरक के पश्चात)	संशोधित अनुमान 2018–19	व्यय (31.03. 2019 को)	संशोधित अनुमान (2018–19) के संबंध मे व्यय का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं								
1	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजसीपी)	100.01	100.01	100.00	99.99	200.01	200.00	200.00	100.00
2	पेट्रो–रसायन की नई योजनाएं	48.00	26.51	10.80	40.74	55.50	19.00	19.00	100.00
3	रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)	1.99	* 2.00	1.35	67.50	3.00@	2.50	2.39	95.60
	I का कुल	150.00	128.52	112.15	87.26	258.51	22150	221.39	99.95
II									
1	सचिवालय	20.41	20.00	17.71	88.55	21.68	18.69	18.10	96.84
2	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	68.08	68.08	68.08	100.00	83.64	72.00	72.00	100.00
3	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसा. इड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)	9.16	7.50	7.10	94.67	7.50	7.50	7.50	100.00

4	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमि. कल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	24.61	384.87	384.75	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	25.74	25.74	22.32	86.71	28.32	21.30	20.98	98.50
	II का कुल	148.00	506.19	499.96	98.77	141.14	119.49	118.58	99.24
	कुल योग (I+II)	298.00	634.71	612.11	96.44	399.65	340.99	339.97	99.70

*इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के लिए 80.00 लाख रुपए का प्रावधान शामिल है।

@ इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के लिए 90.00 लाख रुपए का प्रावधान शामिल है।

*****

अध्याय – 4

पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

पृष्ठभूमि

4.1 इन क्षेत्रों में निवेश एवं औद्योगिक विकास को संवर्द्धित करने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दहेज), ओडिशा (पारादीप) एवं तमिलनाडु (कुड्डालोर एवं नागापट्टनम) में चार पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) को क्रियानवित किया जा रहा है।

4.2 पीसीपीआईआर की संकल्पना, पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर एकीकृत एवं पर्यावरण अनुकूल रूप से बढ़ावा देने के लिए की गई है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2007 में पीसीपीआईआर नीति तैयार की।

4.3 प्रत्येक पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चिन्हित निवेश क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल (प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए चिन्हित क्षेत्र का लगभग 4%) लगभग 250 वर्ग किमी. का होता है। पीसीपीआईआर के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल को अधिग्रहित करना, संबंधित राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, बलकि उन्हें संबंधित क्षेत्रीय योजना एवं क्षेत्रीय कानून के अधीन क्षेत्र को, अधिसूचित करना होता है।

4.4 संबंधित राज्य सरकारें, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) कराती हैं तथा परियोजना क्रियान्वयन की अगुवाई करती हैं। भारत सरकार, जहां तक संभव होता है, सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के जरिए रेल, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट तथा दूरसंचार आदि के माध्यम से पीसीपीआईआर में बाह्य भौतिक आधारभूत अवसंरचना की कड़ी की उपलब्धता सुनिशचित करती है। केन्द्र सरकार इन कड़ियों के सृजन के लिए बजटीय सहायता के साथ व्यवहार्यता–अंतर–निधियन (वीजीएफ) के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए जहां कहीं भी अपेक्षित होता है, आवश्यक वित्तीय संसाधन भी प्रदान करती है।

4.5 नीति में प्रत्येक पीसीपीआईआर में एंकर टीनेंट के रूप मे एक रिफाइनरी/पेट्रोरसायन फीडस्टॉक कंपनी को रखने का प्रावधान है।

4.6 राज्य सरकार संपर्कों के समन्वय के लिए एक नोडल विभाग या एजेंसी को अधिसूचित करती है। प्रत्येक पीसीपीआईआर के लिए संगत विधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित प्रबंधन निकाय पीसीपीआईआर के विकास एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

4.7 एक बार पूरी तरह स्थापित हो जाने के पश्चात, इन चार पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार, इन क्षेत्रों में लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का निवेश हो चुका है/प्रतिबद्ध किया जा चुका है। इन चार पीसीपीआईआर में लगभग 33.83 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। पीसीपीआईआर से संबंधित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गतिविधियों के फलस्वरूप लगभग 3.30 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

4.8 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने पेट्रोरसायन उद्योग के लिए एक पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने का काम शुरू किया। इस संबंध में, अगले 15 से 20 वर्षों में पेट्रोरसायन मांग और आपूर्ति के सकल मुद्दे की जांच करने और मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में संशोधन संबंधी सिफारिशों समेत सरकार को नीति विकल्पों की सिफारिश करने के लिए सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सह–अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

4.9 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार है:

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओड़ीसा	तमिलनाडू
स्थान/क्षेत्र	दहेज, भरूच	विशाखापत्तनम–काकीनाडा	पारादीप	कुड्डालोर – नागापट्टनम
अनुमोदन की तिथि	फरवरी, 2009	फरवरी, 2009	दिसम्बर, 2010	जुलाई, 2012
समझौता ज्ञापन की तिथि	07.01.2010	01.10.2009	03.11.2011	20.02.2014
कुल क्षेत्र (वर्ग किमी.)	453.00	640.00	284.15	256.83
प्रसंस्करण क्षेत्र(वर्ग किमी.)	248.00	270.00	123.00	104.00
एंकर टीनेंट	ओएनजीसी पेट्रो एडीशन लि. (ओपीएएल)	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल)	नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रस्तावित एंकर टीनेंट था जिसके विरुद्ध एनसीएलटी द्वारा परिसम. ापन प्रक्रिया का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार अन्य एंकर यूनिट को पता लगाने की प्रक्रिया में है।

रिफाइनरी / क्रैकर क्षमता एमएमटीपीए में	क्रैकर:इथाइलीनः 1.1 प्रोपाइलीनः 0.6	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी)	12 (रिफाइनरी)
एंकर परियोजना की स्थिति	चालू	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	फरवरी, 2016 से प्रारंभ	2011 से निर्माण कार्य रोक दिया गया
अनुमोदित अवसं. रचना परियोजनाओं की कुल राशि (करोड़ रुपए में)'	एन.ए.	18,731.00	13634.00	13354.00
वीजीएफ के रूप में भारत सरकार का अंशदान(करोड़ रुपए में)	80.50	1206.80	716.00	1143.00(बजटीय सहयोग 1500)
कुल प्रस्तावित निवेश(करोड़ रुपए में) '	50,000.00	3,43,000.00	2,77,734.00	92,500.00
किया गया निवेश(करोड़ रुपए में)	90,732.00	46,729.38– प्रतिबद्ध और 13845.04 – अब तक किया गया वास्तविक	45,000.00	8,100.00
संभावित रोजगार (संख्या) '	8,00,000	11,98,000	6,48,000 (संशोधित)	7,37,200
सृजित रोजगार (संख्या)	1,32,000	1,08,692	38,000	13,950
मास्टर प्लानिंग अधिसूचना की स्थिति	विकास योजना अनुमोदित	क्षेत्र अध्ययन एवं ग्रामीण स्तर के परामर्श का कार्य पूरा हो गया है। मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।	मास्टर प्लान तैयार की जा रही है।	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा।
ईआईए की स्थिति	पर्यावरण एवं तटीय क्षेत्र जोन (सीआरजेड) क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है।	पर्यावरण मंजूरी, ईआईए अध्ययन, डाटा आदि का संग्रह पूरा किया जा चुका है। क्रैकर कॉम्प्लेक्स की स्थिति, कनफिगरेशन और क्षमता के आधार पर एक बार मास्टर प्लान पूरा हो जाने पर लोक सुनवाई आयोजित की जाएगी और पर्यावरणीय क्लीयरेंश के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।	ईआईए अध्ययन किया जा रहा है।	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद लिया जाएगा।

. *परियोजनाओं के अनुमोदन के स्तर पर*

पीसीपीआईआर क्रियान्वयन की स्थिति

4.10 गुजरात पीसीपीआईआरः

- गुजरात पीसीपीआईआर को गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र (जीएसआईआर) अधिनियम, 2009 के अधीन अधिसूचित किया गया है। यह दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के पूर्व और भारत की पश्चिमी तटरेखा के निकट रणनीतिक रूप से अवस्थित है।

- गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (जीआईडीसी) ने पीसीपीआईआर में अवसंरचना के विकास के लिए लगभग 16,864 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

- एंकर टीनेंट यथा मेसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपल) ने परियोजना पर लगभग 27,700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। परियोजना मार्च, 2017 के प्रथम सप्ताह में शुरू हो गई है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14.09.2017 को गुजरात पीसीपीआईआर के विकास हेतु 44445.18 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए को पर्यावरण एवं तटीय क्षेत्र जोन (सीआरजेड) क्लीयरेंस प्रदान की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण एवं तटीय क्षेत्र जोन क्लीयरेंश मिल चुकी है।

4.11 आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर

- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मई, 2008 में पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन के लिए विशेष विकास प्राधिकरण (एसडीए) का गठन किया गया था।

- आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में 6 मौजूदा एसईज़ेड शामिल हैं। आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में लगभग 46729.38 करोड़ रुपए का कमिटेड निवेश है। अवसंरचना विकास पर लगभग 1919.13 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और गेल ने पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन कर लिया है। वायबिलिटी गैप फंडिंग और अन्य सहायता/प्रोत्साहन राशि के विषय में आंध्र प्रदेश सरकार और मैसर्स एचपीसीएल एवं गेल के बीच बातचीत चल रही है।

- सड़क, रेल संपर्क, जलापूर्ति, दूषित जल शोधन एवं समुद्री आउटफाल परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।

4.12 ओडिशा पीसीपीआईआर

- पीसीपीआईआर प्राधिकरण द्वारा पीसीपीआईआर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ़ ओडिशा (आइडीसीओ) ने क्षेत्र के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता का चयन किया है। विस्तृत मास्टर प्लान का प्रारूप पहले ही पूर्ण हो चुका है।

- इन्डियन ऑयल कार्पोरेशन की पारादीप में 15 एमएमटीपीए रिफाइनरी को फ़रवरी, 2016 में शुरू किया गया था। आईओसीएल 730 केटीए पोलीप्रोपाइलीन इकाई स्थापित कर करेगा, जिसे उसी पीसीपीआईआर लोकेशन में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क में उपयोग में लाया जा सकता है। आईओसीएल ने पारादीप पीसीपीआईआर में समयबद्ध और कीफायती तरीके से कच्चे माल की उपलब्धता के लिए मोनो इथाइलीन–ग्लाइकॉल, पैरेक्सिलीन–पीटीए और पेटकोक गैसीकरण यूनिट की स्थापना की भी योजना बनाई है।

- पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) हैदराबाद द्वारा विस्तृत ईआईए संबंधी कार्य किया जा रहा है। यह अध्ययन विस्थापन की वास्तविक संख्या निश्चित करेगा। तदनुसार, ओडिशा पुनःस्थापन और पुनर्वास नीति, 2006 के अनुसार पुनर्वास किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विचाराधीन विषय प्राप्त हो चुके हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर परामर्शदाता द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

4.13 तमिलनाडु पीसीपीआईआर

- तमिलनाडु टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के अन्तर्गत कुड्डालोर जिले के कुड्डालोर एवं चिदंबरम तालुका के 45 गाँवों और नागपट्टनम जिले के सिरकाज़ी एवं तरंगमबाड़ी गाँवों में 24692 हेक्टेयर क्षेत्र को पीसीपीआईआर के रूप में जनवरी, 2016 में अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने दिनांक 20.06.2017 के आदेश द्वारा तमिलनाडु टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के तहत पीसीपीआईआर को एक स्थानीय नियोजन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।

- नागार्जुन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एनओसीएल) प्रस्तावित एंकर टीनेंट था जिसके विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार अन्य एंकर यूनिट का पता लगाने की प्रक्रिया में है।

- राज्य सरकार, तमिलनाडु टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के अन्तर्गत तमिलनाडु पीसीपीआईआर विकास प्राधिकरण के गठन और स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है।

- तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात मास्टर प्लान तैयार करने और पर्यावरणीय अध्ययन संबंधी क्रियाकलाप शुरू किए जाएंगे।

*****

अध्याय – 5

पेट्रोरसायन की नई योजनाएं

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के अधीन तीन निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है :

i. पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लासटिक प्रसंस्करण उद्योग में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार
ii. पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना
iii. प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लासटिक प्रसंस्करण उद्योग में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार

5.1 विभाग द्वारा पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लासटिक प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवोन्मेषणों एवं खोजों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है। सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (सिपेट) को योजना के लिए नामांकन का चयन करने और लक्ष्य को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। विभाग इस पुरस्कार योजना को चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष सिपेट को अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान में रसायन संवर्धन और विकास स्कीम की उप–स्कीम के रूप में यह स्कीम चलाई जा रही है।

5.2 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार, नवोन्मेषण के लिए ऐसे क्षेत्रों जैसे पॉलीमेरिक सामग्री, पॉलीमेरिक उत्पादों, पॉलीमर अपशिष्ट प्रबंधन, पुनःचक्रण प्रौद्योगिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। 24 जनवरी, 2019 को चेन्नई में आयोजित एक समारोह में, माननीय उपराष्ट्रपति ने 8वें राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कारों में नए पॉलिमरों की छः श्रेणियां, विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिमर के नए अनुप्रयोग, ऊर्जा दक्षता सहित नई पॉलिमर प्रसंस्करण मशीन, पॉलीमर अपशिष्ट प्रबंधन में नवोन्मेषण एवं रिसाइक्लिंग, ग्रीन/बायो–डिग्रेडेबल पॉलिमर, 22 उप–श्रेणियों को शामिल करते हुए पैकेजिंग में नवोन्मेषण शामिल किए गए। पुरस्कारों के पिछले संस्करण के विपरीत, 8वें संस्करण में, नवोन्मेषण पर फोकस करते हुए व्यक्तिगत, उद्योग और संस्थानों को अलग श्रेणी के रूप में समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विजेताओं के लिए ईनामी राशि बढ़ाकर 3 लाख रु. कर दी गई जबकि पहली बार उपविजेताओं को 1 लाख रु. दिए गए।

पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना

5.3 इस योजना का लक्ष्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी व अनुसंधान में सुधार करना तथा पॉलीमर व प्लास्टिक में नए प्रयोग के विकास को संवर्द्धित करना है। 2017 तक कार्यान्वित स्कीम के फेज–I में, भारत सरकार ने 3 वर्षों की अवधि के लिए 6 करोड़ रु. की ऊपरी सीमा के अध्यधीन परियोजना की सकल लागत के अधिकतम 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की। विभाग ने प्रतिषठित शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के परिसर में 5 उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना की है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे – अनुसंधान, नवोन्मेषण और प्रशिक्षण (सीओई–एसपीआईआरआईटी) के माध्यम से सतत् पॉलीमर उद्योग के लिए उत्कृष्टता केन्द्र;
ii. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लासटिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई– हरित परिवहन नेटवर्क के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (ग्रीट);
iii. आईआईटी, दिल्ली – एडवांस पॉलीमेरिक मेटीरियल के लिए उत्कृष्टता केन्द्र;
iv. सिपेट भुवनेश्वर– सतत् हरित सामग्री पर उत्कृष्टता केन्द्र; और
v. आईआईटी, गुवाहाटी – सतत पॉलीमर के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

5.4 सीओई, पुणे एवं सीओई, सिपेट, चेन्ई को 11वीं पंचवर्षीय येाजना के दौरान और शेष तीन उत्कृष्टता केन्द्रों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था। भारत सरकार का 6 करोड़ रु. का अनुदान प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र को जारी किया जा चुका है और उनके संबंध में वित्तपोषण पूरा हो चुका है। एनसीएल, पुणे में सीओई–एसपीआईआरआईटी के अधीन सृजित परिसंपततियों के परिणामस्वरूप न केवल पॉलीमर विज्ञान में समकालीन अनुसंधान में वृद्धि हुई है, बलकि इसने पॉलीमर उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के कई सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। सिपेट, चेन्नई में सीओईदृग्रीट और सिपेट, भुवनेश्वर में सतत् हरित सामग्री संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र के मामले में, सिपेट, इंडिया एवं टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा तथा मिसिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के बीच भागीदारी के माध्यम से शैक्षणिक, अनुसंधान एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के रूप में परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आईआईटी, दिल्ली और आईआईटी, गुवाहाटी में क्रमशः एडवांस्ड पॉलीमेरिक मैटीरियल एंड सस्टेनेबल पॉलीमर में अनुसंधान कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों और क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया है।

5.5 परिवर्तित दिशा–निर्देशों के साथ अब योजना का विस्तार 2020 तक कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रयोगशाला से उद्योग तक अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र को 5 करोड़ रुपये का वित्तपोषण प्रदान करना है। तीन उत्कृष्टता केन्द्र नामतः आईआईटी–रुड़की, सिपेट–भुवनेश्वर, और एनसीएल–पुणे को मंजूरी दी जा चुकी है। वित्त वर्ष के दौरान आईआईटी, रुड़की और सिपेट, भुवनेश्वर प्रत्येक को 2.07 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी हैं।

प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

5.6 इस योजना का लक्ष्य घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित एवं एकीकृत करने के लिए क्लस्टर विकास एप्रोच के माध्यम से अत्याधुनिक अवसंरचना एवं सहायक समान सुविधाओं वाले एक इको–सिस्टम के रूप में आवश्यकता–आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना करना है। इस योजना का वृहद लक्ष्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ा कर एवं रोजगार भी सृजित कर अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।

5.7 भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपए की सीमा तक परियेाजना लागत के 50**%** तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों और वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा किया जाता है।

5.8 प्लास्टिक पार्कों की योजना के अधीन फेज–**I** में मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और तमिलनाडु राज्यों में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विभाग ने ओडिशा प्लास्टिक पार्क के लिए 10 करोड़ रु. की राशि जारी की है, मध्य प्रदेश के तमोट में प्लास्टिक पार्क स्थापना के लिए 0.80 करोड़ रु. की राशि एसपीवी को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, फेज–II के भाग के रूप में, झारखंड और बिलाउ, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्कों को 'अंतिम अनुमोदन' प्रदान कर दिया गया है और प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक प्लास्टिक पार्क को 2.00 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं।

*****

अध्याय – 6

अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां

रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)

6.1 भारत, रासायनिक आयुध निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू), जिसका मुख्यालय दि हेग, नीदरलैंड में है, के रासायनिक आयुध अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) का पक्षकार एवं हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह समझौता सार्वभौमिक, गैर–भेदभावपूर्ण, बहु–पक्षीय, निशस्त्रीकरण समझौता है, जो दुनिया को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने की दिशा में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण एवं उपयोग को रोकता है तथा उनके उन्मूलन की निगरानी करता है। भारत ने 14 जनवरी, 1993 को इस समझौते पर पेरिस में हस्ताक्षर किया। भारत ने इस अभिसमय के प्रावधानों के अनुसरण में रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया। आज की स्थिति के अनुसार, 193 देश इस अभिसमय के पक्षकार देश हैं। भारत अपने रासायनिक हथियारों के समस्त भंडारण को नष्ट करते हुए इस अभिसमय के पक्षकार सभी देशों के बीच रासायनिक आयुध मुक्त देश का दर्जा हासिल करने वाला पहला पक्षकार देश बना।

रॉटरडैम अभिसमय

6.2 पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया (पीआईसी) पर रॉटरडैम अभिसमय, 24 फरवरी, 2004 से लागू हुआ, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी इंस्ट्रूमेंट है, और इसे रॉटरडैम में प्लेनिपोटेनटरिज सम्मेलन में 10 सितम्बर, 1998 को अपनाया गया। भारत ने 24.5.2006 को इस अभिसमय को स्वीकार किया।

6.3 इस अभिसमय का लक्ष्य संभावित खतरे से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ खतरनाक रसायनों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पक्षकार देशों के बीच साझा उत्तरदायित्व एवं सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य पक्षकारों के बीच, उनकी विशिष्टताओं के विषय में सूचना के आदान–प्रदान में सहायता प्रदान कर, उनके आयात एवं निर्यात पर एक राष्ट्रीय निर्णय निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान कर और उन्हें इन निर्णयों से अवगत कराते हुए, इन खतरनाक रसायनों के पर्यावरण की दृष्टि से सही उपयोग में योगदान करना भी है।

6.4 प्रत्येक पक्षकार को अभिसमय के अधीन आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण को नामित करने की आवश्यकता होती है। रसायन एवं पेट्रोरसायन

विभाग, औद्योगिक रसायनों के लिए नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण (डीएनए) है और कृषि एवं सहकारिता विभाग, कीटनाशकों के लिए नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है।

6.5 34 कीटनाशकों (3 अत्यंत खतरनाक कीटनाशक फार्मुलेशनों सहित), 15 औद्योगिक रसायनों और कीटनाशक एवं औद्योगिक रसायन श्रेणियों, दोनों में 1 रसायन सहित, समझौते के अनुबंध–III में 50 रसायन सूचीबद्ध हैं। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पीआईसी सचिवालय को इन रसायनों से संबंधित अपनी आयात नीति की जानकारी दें। निर्यातक पक्ष को आयातक देश में प्रतिबंधित और सख्त रोक वाले रसायनों के सम्बन्ध में आयातक पक्ष को निर्यात अधिसूचना प्रदान करनी पड़ती है। औद्योगिक रसायनों के लिए अन्य पक्षों से प्राप्त निर्यात अधिसूचनाओं की रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा, जो औद्योगिक रसायनों के लिए डीएनए है, जांच की जाती है और निर्यातक देश के डीएनए को पावती/उत्तर भेजा जाता है।

स्टॉकहोम अभिसमय

6.6 स्टॉकहोम अभिसमय, जिसकी भारत द्वारा 13.01.2006 को अभिपुष्टि की गई, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। पीओपी ऐसे रसायन हैं, जो लम्बी अवधि के लिए पर्यावरण में अक्षुण्ण रहते हैं, भौगोलिक रूप से बड़े हिस्से में फैल जाते हैं, जीवों के वसायुक्त टिश्यू में जमा हो जाते हैं और मनुष्यों तथा वन्य जीवों के लिए जहरीले होते हैं। पीओपी विश्व भर में फैल सकते हैं और ये जहां कहीं भी जाएगें, नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझौते में यह निर्धारित किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में सरकारों को पर्यावरण में पीओपी के निर्गम को समाप्त करने या कम करने का उपाय करना होगा। दिनांक 17 मई, 2004 को लागू होने वाले इस अभिसमय में यह निर्धारित किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में सरकारें पर्यावरण में पीओपी के प्रवेश में कमी लाने अथवा उसे रोकने हेतु उपाय करेंगी।

6.7 स्टॉकहोम अभिसमय का उद्देश्य इरादतन सभी प्रकार के उत्पादित पीओपी (औद्योगिक रसायनों और कीटनाशकों) के उत्पादन एवं उपयोग को रोकना अथवा प्रतिबंधित करना है। अभिसमय का उद्देश्य डायोक्सिन और फेरांस जैसे गैर–इरादतन उत्पादित पीओपी के पर्यावरण में छोड़े जाने वाली मात्रा में कमी जारी रखने और जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, अंततः उसे रोकना भी है। वर्तमान में स्टॉकहोम अभिसमय में 21 रसायन शामिल हैं, जिसमें से भारत में डीडीटी का प्रयोग प्रतिबंधित है। कृषि संबंधी उद्देश्य से डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध है, इसका उत्पादन सीमित तौर पर सिर्फ वेक्टर नियंत्रण के लिए किया जाता है क्योंकि भारत ने वेक्टर नियंत्रण के लिए डीडीटी के प्रयोग हेतु छूट ले रखी है।

6.8 पीओपी वाले कचरे और उसके भंडारण का प्रबंधन एवं निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानकों और दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण–अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। अभिसमय के अंतर्गत प्रत्येक देश से अपने कर्त्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु एक योजना तैयार करने की अपेक्षा की गई है। अभिसमय के क्रियान्वयन में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए एक अंतरिम वित्तीय प्रणाली के रूप में एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) की स्थापना की गई है।

*****

अध्याय – 7

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी

7.1 दिनांक 2/3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यूसीआईएल) की पेस्टिसाइड यूनिट के दो टैंकों में रखी हुई मिथाइल आइसोसायनेट (एमआईसी) नामक एक घातक गैस के वातावरण में रिसने के परिणामस्वरूप ऐसी भयानक औद्योगिक आपदा हुई जो परिमाण में अतुलनीय थी और इसके कारण भोपाल शहर में बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए तत्काल हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के तत्काल बाद विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए गए और ये अभी भी जारी हैं।

मुआवजे के दावों का अधिनिर्णय

7.2. क्षतिपूर्ति और नुकसान के लिए भारत के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। अभियोजन भी शुरू किया गया था। भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के नाम का एक अधिनियम बनाया। अधिनियम 20 फरवरी, 1985 से लागू हुआ। इसने भारत सरकार को गैस आपदा से उठने वाले दावों के संबंध में सभी मुकदमों को अपने नियंत्रण में लेने और पीड़ित और प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत, पंजीकरण, प्रसंस्करण, प्रत्येक दावे और अपीलों, यदि कोई किया जाता है, के लिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसे भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार द्वारा गैस पीड़ित को गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के पीड़ित और पीड़ित परिवारों को त्वरित निर्णय और मुआवजा देने के लिए कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित स्थापित किया गया था।

7.3 बीजीएलडी के कारण हुई मानवीय पीड़ा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14 और 15 फरवरी, 1989 को समझौता आदेश पारित कर दिया जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे कंपनी द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास फरवरी, 1989 में जमा करा दिया गया था।

मूल मुआवजा

7.4 मुआवजों के संवितरण की वास्तविक प्रक्रिया वर्ष 1992 में आरंभ हुई। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने मृत्यु, स्थायी अपंगता, अस्थायी अपंगता, अत्यंत गंभीर चोटें, कम गंभीर

चोटें, सम्पत्ति का नुकसान एवं पशुधन की हानि जैसी श्रेणियों में 5,74,391 दावेदारों को मुआवजे के रूप में 1548.61 करोड़ रुपए बांटे/संवितरित किए हैं।

यथानुपात मुआवजा

7.5 सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई, 2004 के आदेश के तहत कल्याण आयुक्त को लगभग 1500 करोड़ रुपए की वह शेष राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ब्याज संचय और विनिमय दर में विचलन से संग्रहीत हो गई है, को यथानुपात रूप से (मूल मुआवजा के 1:1 के अनुपात में) उन व्यक्तियों को संवितरित करने का निर्देश दिया, जिनके मामलों का निपटारा हो चुका था। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य नवंबर, 2004 से शुरू किया गया। मार्च, 2019 तक यथानुपात मुआवजे के आधार पर 5,63,108 मामलों में 1517.80 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य जारी है।

अनुग्रह राशि का संवितरण

7.6 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर, सरकार ने गैस पीड़ितों को और राहत एवं पुनर्वास देने के लिए कतिपय निर्णय लिए। सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित श्रेणियों में अनुग्रह राशि के भुगतान का है :–

गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतानों की श्रेणियां

श्रेणी	अनुग्रह राशि
मृत्यु	10 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता	5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अत्यंत गंभीर चोटें	5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
कैंसर	2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
पूरी तरह किडनी खराब	2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता	1 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)

7.7 सरकार द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के गैस पीड़ितों के बीच अनुग्रह राशि के संवितरण के लिए 874.28 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने 19.12.2010 को गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना शुरू किया है। मार्च, 2019 तक 60,712 मामलों में निर्णय लिया गया और इन मामलों में 822.53 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई है।

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास (कार्य योजना)

7.8 केन्द्र सरकार द्वारा गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहत, पुनर्वास और वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 1985 से 1989 तक 102 करोड़ रु. मंजूर किए गए।

7.9 वर्ष 1990 में केन्द्र सरकार ने गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक 5 वर्षीय कार्य योजना को अनुमोदित किया। इस परिव्यय को बाद में बढ़ाकर 258 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस परिव्यय को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किए जाने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया था। कार्य योजना को 1990 से 1999 तक कार्यान्वित किया गया। इसमें गैस पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण शामिल था। इस अनुमोदित योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 309.53 करोड़ रु. की राशि खर्च की। कार्य योजना का प्रमुख घटक चिकित्सीय पुनर्वास था, जिसमें गैस पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए 6 पूर्णतः संसाधन युक्त गैस राहत अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों की स्थापना करना शामिल था।

7.10 इसके अलावा, यूसीआईएल संयत्र स्थल के आसपास के 14 इलाकों में जहां का भूजल पीने योग्य नहीं है, पाइपलाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए अप्रैल, 2006 में भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन 14.18 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।

7.11 मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीडितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न पुनर्वास उपायों के लिए 982.75 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक कार्य योजना पर एक नया ज्ञापन मंत्री समूह (जीओएम) को अप्रैल, 2008 में प्रस्तुत किया था। सरकार ने मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर भोपाल गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास हेतु नई कार्य योजना, 2010 के क्रियान्वयन के लिए 75:25 के अनुपात में केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हिस्सेदारी के रूप में 272.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 08.07.2010 को मध्य प्रदेश सरकार को राज्य की वार्षिक योजना 2010–11 हेतु अन्य परियोजनाओं (अनुदान घटक) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के भुगतान के रूप में 272.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

7.12 मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि आवंटित 272.75 करोड़ रुपए में से 130.29 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार नई कार्य योजना, 2010 के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

7.13 सामाजिक पुनर्वास

7.13.1 गैस पीड़ितों की अनुमानित 5,000 विधवाओं को पांच वर्ष की अवधि के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाना है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। 4,995 लाभार्थियों को विधवा पेंशन के रूप में 25.43 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है।

7.13.2 यूसीआईएल फैक्ट्री के आस–पास रहने वाले गैस पीड़ितों के आश्रिता/परिवारों के लिए घरों के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। प्रस्ताव के अनुसार, सारी बस्ती सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना था और बस्ती के निवासियों को मकान दिए जाने थे। मध्य प्रदेश सरकार ने अब पाइपलाइन द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया है, इसलिए यूसीआईएल फैक्ट्री के आस–पास रहने वाले निवासियों को स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उन 2,500 भोपाल गैस पीड़ितों, जिनके पास रहने के पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें सामाजिक पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए 39.36 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि में से 25 करोड़ रु. की राशि का अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव किया। स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए विभाग द्वारा इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

चिकित्सा पुनर्वास

7.14 गैस राहत अस्पतालों के लिए अधिकांश आवश्यक उपकरण खरीद लिए गए हैं, लगा दिए गए हैं और वे काम कर रहे हैं। अस्पताल भवनों के निर्माण और नवीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। 272.75 करोड़ रु. में से 33.55 करोड़ रु. की राशि चिकित्सा पुनर्वास के लिए आबंटित की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 16.32 करोड़ रु की राशि का उपयोग कर लिया था और कमला नेहरू अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट केंद्र के निर्माण एवं उपकरणों की खरीद, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल अस्पताल, खान शाकिर अली खान अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, भोपाल और कमला नेहरू अस्पताल नामक चार अस्पतालों हेतु माडुलर ओटी टेबलों के लिए सिविल कार्य संबंधी रिनोवेशन जैसे कतिपय नए मदों वाले कार्य के निष्पादन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन मांगा। यह अनुमोदन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया गया।

आर्थिक पुनर्वास

7.15 मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार अवसर के साथ उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम

से 21 संस्थानों का चयन किया है। राज्य सरकार ने 12355 गैस पीड़ितों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया है। शुरुआत में यह कार्यक्रम सफल था, लेकिन बाद में इसमें अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सका। इस योजना के आकर्षक नहीं होने के कारण, मध्य प्रदेश सरकार ने "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" (चीफ मिनिस्टर सेलफ इंप्लॉयमेंट स्कीम) जिसमें उचित/सही प्रशिक्षण के घटक के लिए 1.00 करोड़ रु. शामिल हैं, के अंतर्गत गैस पीड़ितों के लाभार्थियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत 85.87 करोड़ रु की अव्ययित राशि में से 25.12 करोड़ रु. की राशि का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को विभाग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया गया।

पर्यावरण–अनुकूल पुनर्वास

7.16 गैस पीडितों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए आबंटित 50 करोड़ रुपए में से मध्य प्रदेश सरकार ने गैस प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने से संबंधित पूरी राशि का उपयोग कर लिया है।

भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी)

7.17 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन द्वारा दिए गए पैसे से गैस पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए अति विशिष्ट सुविधाओं सहित एक स्पेशलिटी अस्पताल भोपाल में स्थापित किया गया है जिसका नाम भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) है। विशिष्ट सुविधाओं से लैस इस स्पेशलिटी अस्पताल ने जुलाई, 2000 में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। इस अस्पताल में हृदय वक्षीय शल्य चिकित्सा, वृक्क संबंधी चिकित्सा, मूत्र विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, फुप्फुसीय चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा आदि जैसी 12 विधाओं में सुविधाओं सहित 330 बिस्तर उपलबध हैं। भोपाल में विभिन्न गैस प्रभावित वार्डों में गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल की 8 मिनी यूनिटें स्थापित की गई हैं।

7.18 प्रारम्भ में, अस्पताल के प्रबंधन का रख–रखाव भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश, श्री ए.एम अहमदी की अध्यक्षता में भोपाल स्मारक अस्पताल ट्रस्ट (बीएमएचटी) नामक न्यास द्वारा किया जाता था। बाद में मंत्री समूह की सिफारिश पर तथा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में बीएमएचआरसी का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया गया और अब अस्पताल का प्रशासन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) – 31वां अनुसंधान केंद्र

7.19 गैस रिसाव के पश्चात, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने वर्ष 1984 में भोपाल में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया था और महामारीय अनुसंधान एवं नैदानिक अध्ययन किए थे। वर्ष 1987 एवं 1994 में अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के पश्चात, आईसीएमआर ने 31.12.1994 को अनुसंधान कार्य बंद कर दिया और अनुसंधान केन्द्र (पुनर्वास अध्ययन केन्द्र) मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया। सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया था कि आईसीएमआर भोपाल में पूर्ण रूप से एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करके गैस पीड़ितों पर अनुसंधान कार्य फिर से शुरू कर सकता है। तदनुसार, आईसीएमआर ने कुछ चिन्हित क्षेत्रों, जैसे श्वास संबंधी रोगों, कैंसर, पूरी तरह किडनी फेल, जेनेटिक गड़बड़ी, दूसरी पीढ़ी के बच्चों से संबंधित चिकित्सा के मामलों में अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए 11 अक्टूबर, 2010 को भोपाल स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनआईआरईएच) नाम से 31वां अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया। आईसीएमआर और एनआईआरईएच गैस पीड़ितों की स्वास्थ्य समस्याओं पर सटीक रूप से और तेजी से अनुसंधान कार्य कर रही हैं और गैस पीड़ितों को इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही हैं।

पूर्व यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यूसीआईएल) संयंत्र स्थल का पर्यावरणीय उपचारण

7.20 वर्ष 2010 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार यूसीआईएल के भोपाल स्थित तत्कालीन संयंत्र के खतरनाक अपशिष्ट के निपटान और उपचारण करने के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार को मॉनीटरिंग और सहायोग प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत संघ बनाम आलोक प्रताप सिंह एवं अन्य के 2012 की एसएलपी (सिविल) संख्या 9874 के मामले में यूसीआईएल अपशिष्ट के निपटान के मामले से पूर्णतया अवगत है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार पूर्व यूसीआईएल के 10 मीट्रिक टन अपशिष्ट का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 13 से 18 अगस्त, 2015 के दौरान पीतमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट भट्टी में सफलतापूर्वक दहन कर दिया गया।

7.21 यूसीआईएल कारखाना स्थल, भोपाल में पड़े हुए शेष 337 मीट्रिक टन (लगभग) खतरनाक भोपाल गैस अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने शेष अपशिष्ट के निपटान के लिए आम खतरनाक अपशिष्ट इनसिनेरेटर (टीएसडीएफ) किराये पर लेने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली आमंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार

को प्रस्ताव अनुरोध (आरईपी) तैयार करने में सहायता की है। इनसिनेरेशन सेवाएं प्राप्त करने के लिए टेंडर जारी करने का काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रक्रियाधीन है। मध्य प्रदेश सरकार यूसीआईएल परिसरों के अंदर और उनके चारों ओर दूषित स्थलों के उपचारण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

उपचारात्मक याचिका

7.22 मंत्रिमंडल के निर्देश पर भारत संघ द्वारा दिसंबर, 2010 में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी), यूएसए, डॉव केमिकल्स, यूएसए एवं अन्य के विरुद्ध एक उपचारी याचिका सं. 345–347 दायर की गई थी, जिसमें 470 मिलियन यूएस डॉलर की मुआवजा राशि निर्धारित करने संबंधी न्यायालय के वर्ष 1989 के पूर्व फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए यूसीसी और/अथवा यूसीसी की उत्तरवर्ती कंपनियों से बढ़े हुए मुआवजे के दावे की मांग की गई। उपचारी याचिका में जिस मुआवजा राशि का दावा किया गया, वह वर्ष 1989 में इसके निपटारे हेतु आदेश पारित करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों की संख्या के अनुमान और उन मामलों की वास्तविक संख्या के बीच अंतर के कारण है, जिनमें कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीडित, भोपाल द्वारा मुआवजा प्रदान किया जा चुका है। याचिका में पीड़ितों के लिए विभिन्न पुनर्वास उपायों हेतु भारत सरकार द्वारा व्यय की गई राशि और पर्यावरण उपचारण के लिए अपेक्षित राशि के संवितरण का दावा भी किया गया है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

*****

अध्याय–8

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

असम गैस क्रैकर परियोजना (ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड)

8.1 केंद्र सरकार तथा अखिल असम छात्र यूनियन (आसु) और अखिल असम गण परिषद (एएजीपी) के बीच 15 अगस्त, 1985 को समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में शुरू की गई थी। परियोजना का असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए आर्थिक महत्व है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 18 अप्रैल, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में 5460.61 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) का गठन किया गया था। विभिन्न कारणों से परियोजना के समय और लागत में वृद्धि देखी गई। 16 नवंबर, 2011 को जुलाई, 2013 तक यांत्रिक समापन और दिसंबर, 2013 तक शुरुआत होने के साथ आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) 8920 करोड़ रु. ("यथा निर्मित आधार" पर) के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई–I) का अनुमोदन कर दिया गया।

8.2 समय और लागत में और वृद्धि होने के कारण पहले अनुमोदित 8920 करोड़ रुपए (आरसीई–I) की तुलना में दिसंबर, 2015 तक परियोजना शुरू होने की संशोधित समय–सीमा के साथ माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) द्वारा जुलाई 2016 में यथा अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान–II (आरसीई–II) 9965 करोड़ रु. था जिसमें 5,239 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी 3,308 करोड़ रुपये का ऋण और 1418 करोड़ रु. की इक्विटी शामिल थी। परियोजना लागत में 1045 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वृद्धि का वित्तपोषण 549 करोड़ रुपये की पूंजीगत सबसिडी, 149 करोड़ रु. की इक्विटी और 347 करोड़ रु. के ऋण द्वारा किया जाना है। 5239 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत सबसिडी में से मार्च, 2019 तक 4,990 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं। शेष पूंजीगत सब्सिडी 249 करोड़ रु.।

8.3 इस परियोजना को अंततः 2 जनवरी, 2016 को प्रारंभ कर दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 5 फरवरी, 2016 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। प्रारंभ होने और स्थिरीकरण के तुरंत बाद, फीडस्टॉक की अपर्याप्त आपूर्ति जैसे मुद्दों के कारण संयंत्र प्रचालन प्रभावित हो गया। क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास

किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2018–19 में 31.03.2019 तक संयंत्र 100**%** से अधिक क्षमता पर प्रचालित हो रहा है।

8.4 रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति की सिफारिश पर फीडस्टॉक समस्याओं और बीसीपीएल द्वारा सामना किए जा रहे अन्य प्रचालन मुद्दों का समाधान करने के लिए हितधारकों की समन्वय समिति गठित की गई थी जिसकी अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

8.5 हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/मध्यवर्तियों के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को विनिगमित किया गया था, जिनकी आवश्यकता रंजक, रंजक–मध्यवर्तियों, रबर रसायनों, कीटनाशकों, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन में होती है। कंपनी की दो विनिर्माण इकाइयां हैं, जो रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) में स्थित हैं। रसायनी यूनिट (रसायन परिसर) ने वर्ष 1970–71 से उत्पादन शुरू किया था और कोच्चि यूनिट (फिनॉल कॉम्प्लेक्स) ने वर्ष 1987–88 से उत्पादन करना प्रारंभ किया था। कंपनी में कोच्चि यूनिट में फिनाल, एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और रसायनी यूनिट में सांद्रिक नाइट्रिक एसिड और डाइ–नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड (N_2O_4) का विनिर्माण करने वाले संयंत्र हैं। एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना, जिसे भारत सरकार द्वारा 17.05.2017 को अनुमोदित किया गया था, के कार्यान्वयन के बाद रसायनी यूनिट में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कनसनट्रेटिड नाइट्रिक एसिड (सीएनए)/ डाई नाइट्रो टॉक्सोक्साइड (N_2O_4) संयंत्र जिसे अंतरिक्ष विभाग/इसरो को हस्तांतरित कर दिया गया है, को छोड़कर सभी संयंत्र प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। सीएनए/ N_2O_4 संयंत्र, भारत में N_2O_4 के उत्पादन की एकमात्र सुविधा है, जिसका उपयोग इसरो द्वारा अपने रॉकेट लॉन्चिंग कार्यक्रम में किया जाता है। एचओसीएल की एक सहायक कंपनी मैसर्स हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), रुद्रराम, तेलंगाना में स्थित है, जिससे संबंधित ब्यौरा इस अध्याय में आगे दिया गया है।

8.6 एचओसीएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 370 करोड़ रुपए और 337.27 करोड़ रुपए (67.27 करोड़ रुपए की इक्विटी और 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयर शामिल हैं) हैं। कंपनी की इक्विटी के 58.78**%** (वरीयता शेयरों को छोड़कर) भारत सरकार के पास हैं। एचओसीएल बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

8.7 1990 के शुरू में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण, वर्ष 1997–98 में पहली बार एचओसीएल घाटे में गई। लगातार हानि होने के कारण वर्ष 2003–04 तक कंपनी का नेट वर्थ नकारात्मक हो गया और उसे फरवरी, 2005 में तत्कालीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन

बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 09.03.2006 को कंपनी के लिए एक पुनरूद्धार पैकेज को अनुमोदित किया जिसमें, (i) उच्च ब्याज के बांडों, बैंक ऋणों के पुनः भुगतान और वीआरएस को लागू करने के लिए वरीयता शेयर पूंजी (संचयी) के द्वारा 270 करोड़ रुपए के नकद निषेचन और (ii) 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए 100 करोड़ रुपए की भारत सरकार की गारंटी को जारी रखना जिसका उपयोग अधिक ऋण को चुकाने के लिए किया जाना है, शामिल थे। पैकेज के क्रियान्वयन के बाद, वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान कंपनी को मामूली लाभ हुआ और वह बीआईएफआर से बाहर हो गई।

8.8 तथापि, वैश्विक मंदी के प्रभाव के परिणामस्वरूप, बाजार में मुख्य रूप से मंदी का रुख कायम रहने के कारण, वर्ष 2008–09 और वर्ष 2009–10 में कंपनी को पुनः हानि हुई। हालांकि वर्ष 2010–2011 के दौरान इसने लाभ अर्जित किया, किंतु इसके बाद स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गई और इसके मुख्य उत्पादों, फिनॉल और एसीटोन पर एंटी–डंपिंग शुल्क को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान कंपनी को फिर हानि हो गई। सरकार ने कंपनी को लिक्विडिटी संबंधी समस्याओं से उबरने में समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार को जारी किए गए 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयरों के रीडेम्पशन के स्थगन को दिनांक 1 अगस्त, 2013 को अनुमोदित किया (आवंटन तिथि 24.01.2008) जो वर्ष 2011–12 से वर्ष 2012–16 तक रीडेम्पशन के लिए देय था। 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को अगस्त, 2017 तक आगे बढ़ा दिया गया।

8.9 इसके अलावा, एचओसीएल को अपनी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों की बकाया राशि आदि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने हेतु कंपनी द्वारा बांड जारी किए जाने के लिए जुलाई, 2014 में 150 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी दी गई थी। इससे कंपनी अपनी कोच्चि यूनिट और रसायनी यूनिट में उत्पादन कार्यों को पुनः बहाल करने में समर्थ हो सकी। तथापि, उस समय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वैश्विक गिरावट के कारण फिनॉल और एसीटोन के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई और कंपनी ने लाभप्रद दरों पर अपने उत्पादों को बेचने और पर्याप्त कार्यचालन पूंजी पैदा करने में कठिनाईयों का सामना किया। इससे कोच्चि और रसायनी, दोनों यूनिटों में कार्य प्रचालन में बार–बार रुकावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का वित्तीय संकट और गहरा गया। लगातार घाटे और कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण कंपनी फरवरी, 2015 से अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन एवं सांविधिक देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रही है। एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना (नीचे पैरा 8.12 से 8.14 का संदर्भ लें) कार्यान्वित करने से रसायनी यूनिट में संयंत्र प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। कोच्चि में फिनॉल/एसीटोन संयंत्र जुलाई, 2017 से फिर शुरू हो गया और उसके बाद से इसे नियमित रूप से चलाया जा रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन

8.10 गत पांच वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबध में एचओसीएल का वित्तीय प्रदर्शन और 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बिक्री कारोबार	शुद्ध लाभ/(हानि)
2013–14	236.80	(176.85)
2014–15	167.19	(215.49)
2015–16	120.79	(173.91)
2016–17	158.21	(255.57)
2017–18	242.33	(199.47)
2018–19	471.99	73.01
	31.03.2019 को ऑडिट किए गए खातों के अनुसार निवल मूल्य (नए आईएनडी एएस लेखा पद्धति के अनुसार जिसमें भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है): (+)105.24 करोड़ रु. 31.03.2019 को कंपनी अधिनियम के अनुसार निवल मूल्य (भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर): (–)958.72 करोड़ रु.	

8.11 लेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार, वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने 589.92 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित किया और 73.01 करोड़ रु. (रसायनी यूनिट की परिसंपततियों की बिक्री से प्राप्त 117.93 करोड़ रु. की गैर–प्रचालनात्मक आय समेत) का लाभ कमाया।

एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना

8.12 भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है जिसमें डी–नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N_2O_4) संयंत्र को छोड़कर, जिसे कि संयंत्र के साथ संबद्ध कर्मचारियों तथा लगभग 20 एकड़ जमीन के साथ 'जैसा है, जहां है' के आधार पर इसरो को हस्तांतरित किया जाना है, एचओसीएल की रसायनी इकाई के सभी अलाभकारी संयंत्रों के कार्य संचालन को बंद किए जाने की बात है। N_2O_4 संयंत्र का सामरिक महत्व है, क्योंकि यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों में इसरो द्वारा तरल रॉकेट प्रणोदक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले N_2O_4 का एकमात्र स्वदेशी स्रोत है। पुनर्गठन योजना में 1008.67 करोड़ रू. (नकद) का वित्तीय निहितार्थ है, जिसे आंशिक रूप से रसयानी में स्थित एचओसीएल की 442 एकड़ भूमि को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (618.

80 करोड़ रुपये) को बेचकर और शेष राशि (365.26 करोड़ रुपये) भारत सरकार से ब्रिज लोन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग कर्मचारियों के बकाए वेतन और वैधानिक देय राशि के भुगतान तथा 250 करोड़ रुपये के गारंटीकृत बांड को वापस चुकाने और रसायनी यूनिट में स्केलेटल कर्मचारियों के रूप में रखे गए लोगों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस देने पर किया जाएगा। रसायनी इकाई की शेष अभारग्रस्त भूमि एवं अन्य परिसंपततियों को बेचकर कंपनी की अन्य सरकारी देनदारियों के साथ–साथ ब्रिज लोन की राशि का सरकार को भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है।

8.13 एचओसीएल की पुनर्गठन योजना (20.05.2019 को) के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

- रसायनी यूनिट में N_2O_4 संयंत्र को छोड़कर सभी संयंत्र बंद कर दिए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत यूनिट बंद करने का अनुमोदन भी कर दिया गया है।
- 20 एकड़ भूमि और N_2O_4 संयंत्र से जुड़े 131 कर्मचारियों सहित N_2O_4 संयंत्र इसरो हस्तांतरित कर दिया गया है।
- रसायनी में बीपीसीएल को बेचे जाने वाली 442 एकड़ भूमि में से 290 एकड़ भूमि बेच दी गई है। शेष भूमि की बिक्री प्रक्रिया चल रही है।
- रसायनी में बीपीसीएल को अतिरिक्त 242 एकड़ (+/– 10%) की बिक्री के लिए अनुमोदित भूमि में से 85 एकड़ की बिक्री पूरी कर ली गई है। अन्य 80 एकड़ भूमि की बिक्री और पंजीकरण के शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।
- नालको को खरगर, नवी मुंबई में 1000 वर्गमीटर भूमि का लीज हस्तांतरण पूरा कर लिया गया है।
- रसायनी में 250+ एकड़ अभारग्रस्त भूमि के लिए बीपीसीएल ने ईओआई प्रस्तुत किया है। अंतिम प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
- पनवेल भूमि (8 एकड़) को 24.4.2019 को ई–नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया था, किंतु कोई बोली/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। आगे की कार्रवाई एचओसीएल के विचाराधीन है।
- सभी 10 नेस्ले फ्लैटों (मुंबई), बंद संयंत्रों और युटिलिटी ब्लॉकों को एमएसटीसी के माध्यम से सफलतापूर्वक ई–नीलाम कर दिया गया है।
- एचओसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए स्केलेटल स्टाफ (7) और पुनर्गठन योजना कार्यान्वित करने के लिए अस्थायी रूप से रोके गए वीआरएस का चयन करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग–अलग कर दिए गए हैं। जिन 23 कर्मचारियों ने वीआरएस का चयन नहीं किया उन्हें कोच्चि इकाई में भेज दिया गया है।
- 250 करोड़ रुपए की कुल राशि के सरकारी गारंटी वाले दो बॉडों को चुकाने और वरियता वाली सांविधिक देयराशियों के आंशिक भुगतान के लिए सरकार द्वारा जारी अगस्त–सितंबर, 2017 में 360.26 करोड़ रु. के ब्रिज लोन का एचओसीएल द्वारा उपयोग कर लिया गया है।

8.14 पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद, कोच्चि इकाई में फिनॉल/एसीटोन संयंत्र का नियमित प्रचालन जुलाई 2017 से फिर शुरू हो गया। इससे एचओसीएल कोच्चि इकाई से वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 472 करोड़ रु. का कारोबार करने और लगभग 21 करोड़ रु. (अनंतिम) का निवल लाभ कमाने में सक्षम हुई है।

हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

8.15 हिन्दुस्तान फ्लोराकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) की एक सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 14.07.1983 को निगमित किया गया था। यह रुद्रराम, जिला संगारेड्डी, तेलंगाना में स्थित है। कंपनी ने वर्ष 1987 में उत्पादन शुरू किया और यह पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) और क्लोरो डि फ्लोरो मीथेन (सीएफएम–22) के उत्पादन का कार्य कर रही है। पीटीएफई का उपयोग बड़े पैमाने पर रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों में इसका सामरिक उपयोग किया जाता है। सीएफएम–22 का उपयोग प्रशीतन गैस के रूप में और पीटीएफई के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है।

8.16 एचएफएल की अधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 21 करोड़ रुपये और 19.61 करोड़ रुपये है। एचओसीएल (प्रमोटर कंपनी) के पास कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 56.40**%** हिस्सा है और शेष हिस्सा जनता (39.11**%**) और आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (4.43**%**) के पास है। एचएफएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

8.17 वर्ष 1987–88 में कार्य प्रारंभ करने के समय से ही एचएफएल को हानि होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) में गिरावट आ गई और वर्ष 1994 में इसे बीआईएफआर को रेफर किया गया। बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.12.2007 को एचएफ़एल के लिए प्रचालन एजेंसी, मे. आईडीबीआई के अधीन एक पुनरूद्धार पैकेज की मंजूरी दी गई। इस पुनरूद्धार पैकेज की कुल लागत 19.28 करोड़ रुपये थी और इसमें किसी भी सरकारी निधि का निवेश शामिल नहीं था। पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के पश्चात एचएफएल ने वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक आंशिक लाभ हासिल किया। हालांकि, कंपनी को मुख्य रूप से वर्ष 1997 और 2007 के वेतन संशोधन संबंधी बकाया राशि के प्रावधानीकरण और उत्पादों की बिक्री में कमी आने के कारण, वर्ष 2013–14 में 24.82 करोड़ रुपये की हानि हुई। उसके बाद कंपनी मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री में कमी के कारण वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान घाटे में रहने का सिलसिला जारी है। कंपनी का निवल मूल्य भी (नेट वर्थ) नकारात्मक है।

वित्तीय प्रदर्शन

8.18 गत पांच वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबध में एचएफएल का वित्तीय प्रदर्शन दिनांक और 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बिक्री कारोबार	शुद्ध लाभ/हानि
2013–14	31.34	(24.82)
2014–15	32.75	(3.77)
2015–16	39.63	(11.11)
2016–17	38.06	(6.33)*
2017–18	43.08	(4.82)*
2018–19	45.86	(4.78)*
	31.3.2019 को निवल मूल्य (नेट वर्थ)(आईएनडी एएस के अनुसार, जिसमें भूमि एवं अन्य परिसंपततियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है):(–)36.72 करोड़ रुपए	

* नए अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 'आईएनडी एएस' के अनुसार

8.19 एचएफएल के पुनरुद्धार और कारोबार में वृद्धि के लिए, कंपनी ने फ्लोरो स्पेशलिटी रसायन के व्यवसाय में विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं और पीटीएफई पर निर्भरता कम करने के लिए एकल–उत्पाद से बहु–उत्पाद के क्षेत्र में प्रवेश करने की रणनीति अपनायी है। हालांकि, उत्पादों के व्यावसायिक रूप से अलाभकारी होने के कारण, जिसकी मुख्य वजह संयंत्र का छोटा आकार/क्षमता, पुरानी तकनीक और उच्च ओवरहेड लागत है, एचएफएल रेफ्रिजरेंट के रूप में बाजार में सर्वाधिक मात्रा में एचसीएफसी–22 की बिक्री कर रहा है। बाजार की स्थिति के आधार पर पीटीएफई और पीटीएफई से भरे ग्रेडों की कुछ मात्रा भी बेची जाती है।

8.20 सरकार ने पैरेंट कंपनी एचओसीएल को पूर्ण रूप से इस फर्म से अलग करते हुए दिनांक 27.10.2016 को एचएफएल के रणनीतिक विनिवेश की 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की है। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपतति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके लिए योग्यता मानदंड का निर्णय लेने, पीआईएम और अभिरूचि की अभिव्यक्ति तैयार करने आदि के लिए लेन–देन सलाहकार (टीए) और कानूनी सलाहकार (एलए) के चयन के लिए सचिव (सी एंड पीसी) की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है। रणनीतिक साझेदार, बोली राशि आदि के अनुमोदन के लिए सिफारिशें करने हेतु तथा आरक्षित मूल्य तय करने के लिए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की अध्यक्षता

में एक मूल्यांकन समिति का भी गठन किया गया है। सलाह संबंधी सेवाएं प्रदान करने तथा रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा लेन–देन सलाहकार एवं एचओसीएल द्वारा परिसंपतति मूल्य–निर्धारक की नियुक्ति की गई है।

8.21 अप्रैल, 2018 में समाचार पत्रों में एचएफएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति वाले विज्ञापन प्रकाशित किए गए। प्रारंभ में रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुरू में 14.06.2018 निर्धारित की गई थी जिसे आगे बढ़ाकर 28.06.2018 और फिर 12.07.2018 कर दिया गया। अंतिम तिथि तक सिर्फ एक बोली/रुचि की अभिव्यक्ति की प्रापति की स्थिति को देखते हुए, एचएफएल के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय, 66.13 एकड़ की अतिरिक्त भूमि को एमएसटीसी के माध्यम से ई–नीलामी के लिए रखा गया है।

एचआईएल (इंडिया) लि.

8.22 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) के नाम से पहचान वाले एचआईएल (इंडिया) लि. को भारत सरकार के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए डीडीटी (डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन) के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए 1954 में नई दिल्ली में विनिगमित किया गया था। कंपनी ने 1957 में डीडीटी के विनिर्माण के लिए उद्योगमंडल, केरल में एक फैक्ट्री स्थापित की। एचआईएल ने मेलाथियान, जो एक कीटनाशक होता है, के विनिर्माण के लिए 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में एक और फैक्ट्री स्थापित की। पूर्ववर्ती दिल्ली फैक्ट्री को शिफ्ट करके 2003 में कंपनी की तृतीय यूनिट भंटिडा, पंजाब में स्थापित की गई। रसायनी और उद्योगमंडल संयंत्रों में डीडीटी विनिर्माण और कृषि रसायन विनिर्माण दोनों ही सुविधाएं हैं जबकि भटिंडा में केवल फॉर्मूलेशन के विनिर्माण और पैकेजिंग की सुविधा है। कंपनी के भारत भर में 7 क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय हैं और इसके उत्पादों के विपणन और वितरण का एक व्यापक नेटवर्क है।

8.23 कंपनी ने 20.03.2018 को एचआईएल (इंडिया) लि. का नया नाम हासिल किया, क्योंकि पुराना नाम, अर्थात हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, कंपनी के विविध व्यवसायिक गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र को प्रतिविंबित नहीं कर पा रहा था। इसके साथ ही, नया नाम एचआईएल की स्थापित ब्रांड नाम के साथ अपनी संबद्धता को बरकरार रखता है।

8.24 एचआईएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 91.33 करोड़ रुपए है। इसके शत–प्रतिशत शेयर भारत सरकार के पास हैं ।

8.25 एचआईएल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) को डीडीटी का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। कंपनी ने 1970 के उत्तरार्ध में कृषि रसायनों का विविधीकरण किया था ताकि कृषि क्षेत्र के लिए उचित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आज

इसके पास कृषि समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी और फॉर्मूलेशन ग्रेड के कीटनाशकों की रेंज उपलब्ध है।

8.26 अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए कंपनी ने 2012–13 में बीज उत्पादन और विपणन व्यापार में प्रवेश किया। कंपनी को फसल और सब्जियों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं विपणन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है। कंपनी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), नेशनल ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईएचएच) के अंतर्गत बीज उत्पादन और अधिक उपज वाले बीज मिनीकिटों की आपूर्ति में राष्ट्रीय स्तर की बीज एजेंसी के रूप में भाग लिया। इसने 2016–17 में 1.45 लाख मिनी किट की तुलना में 2017–18 में बीज के 2.29 लाख मिनी किट की आपूर्ति की। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान बीज व्यापार से किया गया कारोबार 51 करोड़ रुपए का था।

8.27 बीज संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एचआईएल बठिंडा इकाई में बीज गोदामों का निर्माण और बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कर रही है, जो कि कंपनी के लिए अतिरिक्त आय का जरिया होगा। इसने बीज उत्पादन पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण की कवायद के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ अपने आर एंड डी कॉम्पलेक्स, गुरुग्राम में बीज परीक्षण प्रयोगशाला की भी स्थापना की है।

8.28 किसानों की सभी कृषि संबंधी इनपुट आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप शॉप बनने के विजन के साथ 2015–16 में एचआईएल ने आगे उर्वरक व्यापार में विविधीकरण कर लिया। उर्वरक विभाग द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत इसे उर्वरक आयात करने वाली एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठापित कर लिया गया है। कंपनी ने 2017–18 के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति से 94.34 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया। एचआईएल ने जैव–कीटनाशकों और जैव–उर्वरकों का भी व्यापार शुरू किया है।

वित्तीय प्रदर्शन

8.29 वर्ष 2006–07 में पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद एचआईएल निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। गत 5 वर्षों में कंपनी के कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन और 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार है:

(करोड रुपए में)

वर्ष	बिक्री कारोबार	शुद्ध लाभ/हानि
2013–14	**330.35**	**1.84**
2014–15	**339.90**	**1.60**
2015–16	**334.75**	**1.83**

2016–17	369.51	3.26
2017–18	432.66	3.41
2018–19 (अनंतिम)	436.00	3.75
	31.3.2019 को नेटवर्थः 102.50 करोड़ रुपए	

8.30 चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, अनंतिम गैर–लेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार, कंपनी ने कुल 436.00 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 3.75 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त किया।

निर्यात

8.31 कंपनी ने वर्ष 2017–18 में जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया को किए गए लगभग 438 मीट्रिक टन डीडीटी के निर्यात से 29.80 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। एचआईएल ने पेरू, म्यांमार और फिलीपींस जैसे देशों को भी कृषि–रसायनों का निर्यात किया, जिससे इसे लगभग 2.02 करोड़ रुपये की आय हुई। पूर्व वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3.43 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31.82 करोड़ रुपये का कुल निर्यात किया गया। दिसंबर, 2018 तक निर्यात लगभग 1.90 करोड़ रुपये का था।

एचआईएल की नई पहलें, परियोजनाएं एवं उपलब्धियां

8.32 उत्पाद प्रोफाइल को व्यापक बनाने और डीडीटी राजस्व पर कंपनी की निर्भरता को कम करने के नजरिए से, अपने प्रचालनों को विविधितापूर्ण बनाने के लिए एचआईएल द्वारा अनेक नईं पहलें की गई हैं और परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। इनमें से कुछ नई पहलें/परियोजनाएं निम्नानुसार हैंः

(i) 2016–17 के दौरान, 'हिलगोल्ड' नामक ब्रांड के तहत बठिंडा यूनिट में जल में घुलनशील उर्वरक (एनपीके 19:19:19) वाले 1800 एमटीपीए के संयंत्र की सफलतापूर्वक शुरूआत के पश्चात कंपनी ने अपनी उद्योगमंडल और रसायनी यूनिटों में भी प्रत्येक में 3000 एमटीपीए क्षमता के साथ 'हिलगोल्ड' का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ii) एचआईएल ने देश भर में अपने व्यापार नेटवर्क को नीम लेपित यूरिया, डीएपी और एनपीके की आपूर्ति हेतु अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों अर्थात नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) और इफको के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने अपने कारोबारी नेटवर्क में एसएसपी की आपूर्ति के लिए देश में सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) निर्माताओं के साथ विपणन टाई–अप भी किया है।

(iii) कंपनी यूएनआईडीओ परियोजना "डीडीटी के विकल्प के रूप में नॉन–पीओपी के विकास और संवर्धन" के अंतर्गत 50 लाख नेट प्रति वर्ष की प्रारंभिक क्षमता के साथ अपनी रसायनी यूनिट में दीर्घकालिक कीटनाशक नेट (एलएलआईएन) विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस सुविधा के जून, 2019 तक चालू होने की उम्मीद है।

(iv) वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा दिए गए 11 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण से एचआईएल ने कृषि तथा बागवानी वाले फसलों की गुणवत्ता में बाधा डालने वाले घास/घासफूसों को नियंत्रित करने में मुख्य रूप से प्रयुक्त पेंडीमेथालिन, एक हर्बीसाइड का विनिर्माण करने के लिए कोच्चि में सफलतापूर्वक एक संयंत्र चालू किया है। पेंडीमेथालीन का व्यावसायिक उत्पादन मई, 2018 में शुरू हुआ।

(v) कंपनी ने वर्ष 2018–19 में देश के लगभग 14 राज्यों में किसानों के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन व्यवहारों के अपनाए जाने पर 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए, जिसमें लगभग 25,500 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। एचआईएल ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 355 माली/नर्सरी के कर्मचारियों के लिए 200 घंटे के कौशल विकास प्रशिक्षण का भी आयोजन किया।

(vi) बीज उत्पादन, विपणन, प्रमाणन आदि पर अफगानिस्तान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे के सफल समापन के पश्चात, जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा (2016–17 में) किया गया था, एचआईएल द्वारा अक्टूबर, 2017–18 में अफगानिस्तान के 30 अधिकारियों के लिए इसी प्रकार के एक अन्य प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

(vii) अप्रैल, 2018 में आयोजित सीपीएसई सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के आधार पर, कंपनी के लिए एक विजन 2022 कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है और डीपीई के पोर्टल के माध्यम से प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है।

*****

अध्याय–9

स्वायत्त संस्थान

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)

9.1 सामान्य रुपरेखा

9.1.1. सिपेट रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आईएसओ 9001:2015 क्यूएमएस, एनएबीएल, आईएसओ/आईईसी 17020 से मान्यता प्राप्त एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जो देश में पॉलिमर और इससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता और शिक्षण एवं अनुसंधान (एसटीएआर) संबंधी क्रियाकलापों के साथ पूर्ण रूप से समर्पित है। सिपेट देश भर में फैले 36 केन्द्रों में कार्यरत है, जिनमें 7 इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर (आईपीटी), 24 कौशल एवं प्रौद्योगिकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस) और 3 उन्नत पॉलिमर अनुसंधान विद्यालय(एसएआरपी) शामिल हैं।

9.1.2 उपर्युक्त के अलावा, मेडक (तेलंगाना), (जम्मू और कश्मीर), बिहार, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और मुंबई (महाराष्ट्रमें सिपेट के 5 केंद्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं। प्लास्टिक एवं संबद्ध उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिपेट केंद्रों के पास डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीएई, टूलिंग एंड मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं।

9.2 शैक्षणिक और कौशल विकास कार्यक्रम

9.2.1 दीर्घकालिक व्यवसायिक कौशल विकास कार्यक्रम

सिपेट 13 विभिन्न दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी कार्यक्रम, संचालित करता है, जिनमें प्रवेश अर्हता के विभिन्न स्तरों पर होता है। संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे दीर्घकालिक कार्यक्रम निम्नानुसार हैं–

- डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (डीपीटी) (3 वर्ष)
- डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (डीपीएमटी) (3 वर्ष)
- पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाईन सीएडी/सीएएम के साथ (पीडी–पीएमडी) ($1\frac{1}{2}$ वर्ष)

- पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग (पीजीडी–पीपीटी) (1½ वर्ष)
- बी.टेक. (प्लास्टिक इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी) (4 वर्ष)
- बी.ई / बी.टेक. (मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी) (4 वर्ष)
- एम.टेक. (प्लास्टिक इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी) (2 वर्ष)
- एम.टेक. (पॉलिमर नैनो टेक्नोलॉजी) (2 वर्ष)
- एम.ई. (सीएडी / सीएएम) (2 वर्ष)
- एम.एस.सी. (बायो पॉलिमर साइंस) (2 वर्ष)
- एम.एस.सी. (पॉलिमर साइंस) (2 वर्ष)
- एम.एस.सी. (अप्लाइड पॉलिमर साइंस) (2 वर्ष)
- एम.एस.सी. (टेक.) मैटेरियल साइंस इंजीनियरिंग (5 वर्ष)

संबंधित राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ सम्बंधन / समन्वय से 05 आईपीटी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वर्ष 2018–19 में, दीर्घकालीन और डॉक्टोरल कार्यक्रमों में 13,674 छात्रों का नामांकन किया गया है। सिपेट ने शैक्षणिक वर्ष 2018–19 के लिए डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट के द्वारा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है।

9.2.2 अल्पकालिक व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमभारत सरकार के "स्किल इंडिया मिशन" की तर्ज पर सिपेट प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संपूर्ण क्षेत्र में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पर फोकस करता है। सिपेट प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) मानकों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप 37 अनुमोदित कार्यक्रम संचालित कर रहा है। 16 घंटे से लेकर 1 वर्ष की अवधि तक के अल्पकालिक कार्यक्रमों का उद्देश्य प्लास्टिक के संगत क्षेत्रों में प्रतिभागियों के कौशल और सक्षमता स्तर को बढ़ाना है। सिपेट द्वारा ऑफर किए जा रहे कार्यक्रमों की व्यापक श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रोजगार संबद्ध प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम
- उच्च कौशल और पुनर्कौशल कार्यक्रम
- लघु अवधि के उद्योग विशेष कार्यक्रम
- उद्योग की आवश्यकता अनुकूल कार्यक्रम
- विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए संयंत्र में प्रशिक्षण

भारत और विदेशों में अग्रणी प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों में लाभप्रद रोजगार के माध्यम से बेरोजगार / अर्ध–रोजगार प्राप्त युवाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ अधिकांश कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न राज्य / केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं।
सिपेट ने 2017–18 के दौरान प्रशिक्षित किए गए 70,056 अभ्यर्थियों की तुलना में 2018–19 के दौरान, दीर्घकालीन, अल्पकालीन और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 71,015 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया।

9.3 प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं

9.3.1 सिपेट सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीएई, टूलिंग, प्लास्टिक प्रसंस्करण, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्लास्टिक उद्योगों के संवर्धन में अग्रणी संस्थान है।

9.3.2 वर्ष 2018–19 के दौरान सिपेट द्वारा 84,671 प्रौद्योगिकी सहायता असाइनमेंटों का दायित्व लिया गया, जिनमें जॉब वर्क, मोल्ड ऑडर, टेस्टिंग असाइनमेंट और परामर्श सेवाएं शामिल हैं।

9.3.3 निरीक्षण सेवाएं भी सिपेट का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो प्लास्टिक उत्पादों के गुणवत्ता प्रमाणन में सरकारी विभागों समेत विभिन्न संगठनों की सहायता करता है। 2018–19 (दिसंबर, लगभग 15,776 डिलीवरी–पूर्व निरीक्षण (पीडीआई) कार्य विभिन्न सिपेट केंद्रों द्वारा संपन्न किए गए।

9.4 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

9.4.1 सिपेट के दो स्थापित आरएंडडी विंग है अर्थात (i) चेन्नई में एडवांस्ड रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिमुलेशन (एआरएसटीपीएस) तथा (ii) भुवनेश्वर में लेबोरेटरी फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलीमेरिक मैटेरियल (एलएआरपीएम) जो 2008–09 में अपनी स्थापना के समय से ही निरंतर रूप से अपना योगदान दे रहे हैं।

9.4.2 हाल ही में, भारत सरकार ने बेंगलुरू में एक आरएंडडी विंग – एडवांस्ड पॉलिमर डिजाइन एंड डेवेलपमेंट रिसर्च लेबोरेटरी (एपीडीडीआरएल) की स्थापना को अनुमोदन किया है जिसकी कुल परियोजना लागत 87.00 करोड़ रुपए है जिसे भारत सरकार और कर्नाटक सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। राज्य सरकार ने आरएंडडी केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना लागत भी मंजूर की है और 5 एकड़ भूमि आबंटित की है। इस केंद्र ने जुलाई, 2016 से अस्थायी परिसर से कार्य प्रारंभ कर दिया है। एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु, के लिए स्थायी परिसर के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि के आबंटन के अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने आरएंडडी और जांच प्रयोगशालाओं की तत्काल स्थापना हेतु पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट में 17,760 वर्ग फुट भूमि भवन परिसर के निर्माण हेतु आबंटित की है। प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण और फर्निशिंग का कार्य समाप्त हो चुका है और केंद्र ने अस्थायी परिसर में कार्य करना शुरू कर दिया है।

9.4.3 2018–19 के दौरान, इन तीन आरएंडडी विंगों के प्रमुख योगदानों/उपलब्धियों में 67 शोध पत्रों का प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 28 पत्रों की प्रस्तुति 30 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को हाथ में लेना शामिल हैं।

9.4.4 हाथ में ली गई प्रमुख अनुसंधान और विकास परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

• ट्रक लाइनर के लिए कैस्टर ऑयल आधारित यूवी प्रतिरोधी कोटिंग का विकास।
• एयरोस्पेस में प्रयोग के लिए उच्च ताप–प्रतिरोधी के साथ एंड कैप्ड पॉलीमाइड का संश्लेषण।
• पॉलिथर ईथर केटोन (पीईईके) और पॉलियामाइड (पीए) आधारित 3 डी प्रिंटिंग मोनोफिलामेंट का विकास।
• समुद्री परिवेश में प्रयोग के लिए फाउल प्रतिरोधी सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग का विकास।
• उच्च बैरियर प्रदर्शन के साथ बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉली–लैक्टिक–एसिड फिल्म (बीओपीएलए) का विकास।
• कन्डक्टिव कम्पोजिट हाउसिंग का विकास।
• अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (डब्ल्यूईईई) का पुनर्चक्रण और मूल्यवर्धन।
•एनटीआरए, एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली में सोलर पीवी पैनलों को लगाने के लिए फ्लोटर सिस्टम हेतु उत्पाद सुधार।
• जल निकायों, एसआरआई–डीएसटी, नई दिल्ली में सोलर पीवी पैनलों को लगाने के लिए स्वदेशी फ्लोटिंग सिस्टम का विकास।
• आर्थोपेडिक और डेंटल एप्लीकेशन, डीबीटी, नई दिल्ली के लिए बायोमैटिरियल्स पर स्थानान्तरीय अनुसंधान।
• सामग्री और उत्पाद की रिवर्स इंजीनियरिंग, मेसर्स वैरॉक पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड।
• सोनोबॉय के मेन असेम्बली की डिजाइन एवं विकास, मेसर्स केल्ट्रोन, केरल।
• वाहनों की चेन में प्रयोग किए जाने वाले ओ–रिंग रबर सामग्री पर विकास संबंधी अध्ययन, मेसर्स ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, चेन्नई।
• सोनोबॉय के लिए आउटर केस असेम्बली का विकास, मेसर्स एनपीओएल, कोच्चि।

9.5. वित्तीय प्रदर्शन (अलेखापरीक्षित)

9.5.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, सिपेट ने 307.23 करोड़ रुपए की वार्षिक बजटीय आय की तुलना में 335.00 करोड़ रुपए की आय पैदा की है । उक्त अवधि के दौरान ही सिपेट ने वर्ष 2017–18 के दौरान 234.41 करोड़ रुपए के बजटीय राजस्व व्यय की तुलना में 260.83 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय किया है।

9.5.2 पिछले कुछ सालों के दौरान, सिपेट की सिविल एवं तकनीकी अवसंरचना सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं, जिससे प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों, जैसे शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हुई है। सिपेट 2008–09 से सेल्फ सस्टेनेबल मोड पर प्रचालन कर रहा है।

9.6 प्रमुख कार्यक्रम

9.6.1 दिनांक 10 जुलाई, 2018 को स्वर्गीय श्री अनंत कुमार, तत्कालीन माननीय रसायन एवं उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार तथा श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड द्वारा संयुक्त रूप से डोईवाला, देहरादून में सिपेटः सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट (सीएसटीएस) का उद्घाटन किया गया और सिपेट के नए भवन की आधारशिला रखी गई।

9.6.2 सिपेटः सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट (सीएसटीएस), चंद्रपुर– दिनांक 11 नवंबर, 2018 को श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार और श्री हंसराज जी. अहीर, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी गई।

9.6.3 सिपेट के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन

- सिपेट ने राष्ट्र के प्रति और विशेष कर प्लास्टिक एवं उससे संबद्ध उद्योगों के प्रति सफलतापूर्वक 50 वर्ष की अपनी समर्पित सेवाएं पूरी कर ली है। नए सिपेट केंद्रों की स्थापना के साथ–साथ प्लास्टिक उद्योगों की वृद्धि एवं सतत विकास के मामले में हासिल अनेक कीर्तिमानों के साथ इसकी लंबी यात्रा पर विचार करते हुए दिनांक 24.01.2019 को चेन्नई में सिपेट में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन श्री एम. वैकेया नायडू, भारत के माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इसमें सम्माननीय अतिथियों में श्री बनवारीलाल पुरोहित, माननीय राज्यपाल, तमिलनाडू; श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय सांखयिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार; श्री डी जया कुमार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार माननीय मत्स्य मंत्री,सुधार, तमिलनाडु सरकार; डॉ. जे. जयवर्धन, माननीय सांसद, चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र और श्री एम.ए. सुब्रमणियन, माननीय विधायक, सैदापेट निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। इस समारोह में सिपेट का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।

- सामान्य रूप से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के प्रयोग और प्लास्टिक के पुनः प्रयोग के विषय में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 23 जनवरी 2019 को चेन्नई में सिपेट के स्वर्ण जयंती समारोह के उत्सव में सिपेट द्वारा 3,373 लोगों को शामिल करके एक "वृहत मानव रीसाइक्लिंग लोगो" बनाई गई। एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने सिपेट की पहलों को मान्यता देते हुए वहीं पर उसे प्रमाण पत्र जारी किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स असेसमेंट टीम ने सिपेट को उसकी उपलब्धि के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया।

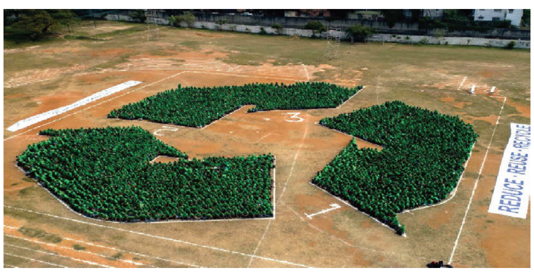

GUINNESS WORLD RECORDS

CERTIFICATE

The largest human recycling logo consists of 3,373 people, and was achieved at an event organised by CIPET-Central Institute of Plastics Engineering & Technology (India) in Chennai, India, on 23 January 2019.

OFFICIALLY AMAZING

- माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन और रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री, श्री मनसुख एल मांडविया ने सिपेट, चेन्नई में 16.02.2018 को आयोजित 50वें वर्ष के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया।

9.6.4 सिपेट लोगो की रीडिजाइनिंग

सिपेट की वर्तमान गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं दृष्टिकोण की तर्ज पर सिपेट की मौजूदा लोगो को रिडिजाइन कर उसे पुनः लांच किया गया है।

सिपेट CIPET

CIPET सिपेट
probe • perform • practice • Plastics

9.6.5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सिपेट के अनुसंधान संबंधी समन्वय और छात्र एवं फैकल्टी के आपसी आदान–प्रदान के लिए 22.03.2019 को मासाच्यूट्स विश्वविद्यालय, यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

9.7 सम्मेलन / संगोष्ठियां / प्रदर्शनियां

9.7.1 दिनांक 22–24 जनवरी, 2019 के दौरान सिपेटः इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (आईपीटी), चेन्नई में स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलिमर्स (एसएआरपी)– एडवांस्ड रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट साइमुलेशन (एआरएसटीपीएस) द्वारा "पॉलिमर उत्पाद विकास एवं निर्माण में नवाचार" विषय के साथ पॉलिमर सामग्रियों में उन्नतिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एपीएम), 2019 का आयोजन किया गया। एपीएम–2019 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन अन्ना यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. एम.के. सुरप्पा द्वारा प्रो. (डॉ) एस.के. नायक, महानिदेशक, सिपेट और श्री डी. प्रवीण, निदेशक, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ किया गया। इस सम्मेलन में 12 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों सहित लगभग 98 विश्वविद्यालयों / संस्थानों / आरएंडडी प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 202 अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए और उन पर चर्चा की गई, जिसमें एक समर्पित पोस्टर सत्र शामिल था।

9.7.2 दिनांक 2–5 जून, 2018 को नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 प्रदर्शनी आयोजित की गई। सिपेट स्टाल का उद्घाटन श्री पी. राघवेंद्र राव, सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।

9.8 स्वच्छ भारत अभियान

9.8.1 सिपेट मुख्यालय और उसके केंद्र मासिक आधार पर स्वच्छ भारत अभियान संबंधी गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। स्वच्छता एवं साफ–सफाई के महत्व को उजागर करते हुए छात्र एवं कर्मचारीगण उत्साहपूर्वक संस्थान परिसर, छात्रावास परिसर, शॉप फ्लोर एरिया, क्लास रूप एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई जैसी स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

9.9 राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

9.9.1 स्वर्गीय श्री अनंत कुमार, तत्कालीन माननीय रसायन एवं उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 16.07.2018 को नई दिल्ली में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में वर्ष 2016–17 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिपेट को ”राजभाषा स्वर्ण शील्ड” प्रदान किया।

9.9.2 हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सिपेट के सभी केंद्रों में दिनांक 14 सितंबर (हिंदी दिवस) से "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया। इस अवसर के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं अर्थात, सिपेट केंद्रों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्रों के लिए शब्द ज्ञान, क्विज, वाद–विवाद, निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, पाठन एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

9.9.3 मंत्रालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण

दिनांक 29.01.2018, 06.04.2018 और 21.06.2018 को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा सिपेट केंद्रों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

9.10 प्रस्तावना

गुड़गाव, हरियाणा में अवस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। आईपीएफटी अपने प्रकार का एक मात्र संस्थान है जो अत्याधुनिक प्रयोक्ता और पर्यावरण अनुकूल न्यू जेनरेशन कीटनाशक फॉर्मूलेशन प्रौद्योगिकी के विकास के प्रति समर्पित है । संस्थान ने भारतीय कृषि रसायन उद्योगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया है और यह सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल फार्मूलेशन्स के लिए प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने में सफल रहा है । आईपीएफटी बायोएफिकेसी, फाइटोटॉक्सिटी कृषि और घरेलू फॉर्मूलेशन दोनों के कीटनाशक अवशेष विश्लेषण के लिए सीआईबी/आरसी दिशा–निर्देशों के अनुसार आंकड़े तैयार करने में भी उद्योगों की सहायता कर रहा है। आईपीएफटी घरेलू और बाह्य वित्तपोषित आरएंडडी परियोजनाओं को निष्पादित करता है।

9.11 संस्थान के उद्देश्य

- अत्याधुनिक प्रयोक्ता और पर्यावरण अनुकूल न्यू जेनरेशन कीटनाशक फॉर्मूलेशन प्रौद्योगिकी का विकास और उत्पादन।
- नए फार्मूलेशंस की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल कुशल अनुप्रयोग प्रौद्योगिकीयों का संवर्धन।
- सुरक्षित विनिर्माण परंपरा, गुणवत्ता आश्वासन, कच्ची सामग्री मानकीकरण एवं स्त्रोत से संबंधित जानकारी का प्रसार।
- विश्लेषणात्मक तथा परामर्शी सेवाएं।
- विशेषीकृत प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा के माध्यम से कृषि रसायन के क्षेत्र में काम करने वाले कीटनाशी वैज्ञानिकों की योग्यता एवं उपयोगिता में सुधारात्मक कदम उठाना।
- कीटनाशक कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा जारी रखना।

9.12 स्थापना का प्रयोजन

9.12.1 बहुत अधिक विषाक्तता और जटिल भौतिक–रासायनिक गुणों के कारण कीटनाशकों का इनके शुद्ध रासायनिक रूप (तकनीकी ग्रेड) में अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है। तकनीकी ग्रेड कीटनाशक प्रयोग के लिए तैयार स्थिति (फॉर्मूलेशन) में परिवर्तित किए जाते हैं, उस सथिति में इन्हें जल के साथ मिलाया जा सकता है और बहुत बड़े लक्षित क्षेत्र में बहुत छोटी मात्रा में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। लक्षित कीटनाशकों पर इचछित प्रभावोत्पादकता पैदा करने के लिए फॉर्मूलेटिड उत्पादों को व्यवहारिक पद्ध तियों द्वारा उचित प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है।

9.12.2 परंपरागत फॉर्मूलेशनों के जोखिमों और नुकसानों को न्यूनतम करने के लिए आईपीएफटी की स्थापना विभिन्न प्रयोक्ता एवं और पर्यावरण अनुकूल नई जेनरेशन के कीटनाशक फॉर्मूलेशनों का विकास करने और किसानों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संबंधित कार्यकलापों के लिए की गई थी। भारतीय एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की कीटनाशक फॉर्मूलेशनों के विकास के क्षेत्र में सहायता करने के लिए आईपीएफटी देश में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है।

9.13 प्रमुख गतिविधियां

अनुसंधान एवं विकासः

9.13.1 <u>डीडीटी के विकल्प के रूप में गैर–पीओपी का विकास और संवर्धन</u>– इसका उद्देश्य डीडीटी पर निर्भरता को कम करने और अंततः इसे समाप्त करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पहले कदम के रूप में स्थानीय रूप से उपयुक्त, सस्ते और डीडीटी के सतत विकल्पों तथा जैव एवं वनस्पति कीटनाशक की पेशकश करना है। प्रयोगशाला के पैमाने

पर नीम–आधारित छिड़काव वाले तेल, सस्पेंशन कन्सन्ट्रेट फार्मुलेशन्स की कम्पोजीशन और प्रोसेस को अधिकतम किया गया है। इन फार्मुलेशन्स का उत्पादन प्रायोगिक पैमाने पर करने के लिए प्रोसेस को बढ़ाने के लिए पायलट की डिजाइन और खाका को मानक के अनुसार बनाया गया है।

9.13.2 मच्छर पर नियंत्रण के लिए उन्नत और पर्यावरणीय अनुकूल कीटनाशक फार्मुलेशन का विकास– इस परियोजना का लक्ष्य मच्छरों के लार्वा और वयस्क मच्छरों के नियंत्रण के लिए भी फार्मुलेशन का विकास करना है। आकर्षक प्रकार के फार्मुलेशन्स की संभावना और उसके संभावित वनस्पतिक विकल्पों का पता लगाने के लिए अनुसंधान जारी है। लार्वा, प्यूपा और वयस्क जैसे जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में मच्छर को नियंत्रित करने के लिए नीम–आधारित जल में घुलनशील छोटे आकार के दानों के फार्मुलेशन का विकास किया गया है। इस विकसित फार्मुलेशन ने क्वालिटी नियंत्रण वाले सभी पैमानों पर क्वालिफाई किया और मच्छरों के विरुद्ध उत्तम जैव प्रभावकारिता प्रदान की।

9.13.3 प्रभावी फसल के प्रबंधन टूल के रूप में नीम आधारित संशोधित कम्पोजीशन का संवर्धन– इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल कीट प्रबंधन के लिए सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशक के एक सुरक्षित विकल्प के रूप में नीम का संवर्धन करना, आमेलित कीटनाशी कम्पोजीशन पर इसकी जैव–प्रभावकारिता अध्ययन और मृदा कीट के साथ–साथ श्वेतप्रदर के नियंत्रण के विकास के लिए इसके पाउडर कम्पोजीशन का विकास करना है। कृषि फसल कीट प्रबंधन के लिए तैयार किए गए वनस्पतिक–आधारित आमेलन के प्रयोग में वृद्धि की जाती है। विकसित सूत्रीकरणों के जैव–प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।

9.13.4 वनस्पतिक गुणवर्धक औषधियों के प्रयोग के साथ सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों की डोज में कमी लाना– कृषि फसलों में कीट नियंत्रण के लिए सिंथेटिक कीटनाशकों की डोज में कमी लाने और जैव–प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए गुणवर्धक औषधियों के कम्पोजीशन को अधिकतम किया गया है। इसके लिए आगे के अनुसंधान और प्रयोगों की प्रक्रिया प्रगति पर है।

9.13.5 एसिटामिप्रिड का विकास 19.5% + इमामेक्टिन बेंजोएट 4% पानी में घुलनशील ग्रैन्यूल्स फार्मुलेशन– यह एसिटामिप्रिड और इमामेक्टिन बेंजोएट का एक कॉमबिनेशन फार्मुलेशन है। यह नया फार्मुलेशन विभिन्न कृषि फसलों में विभिन्न प्रकार के कीड़ों के विरूद्ध व्यापक पैमाने पर जैव–प्रभावकारिता प्रदान करेगा। फार्मुलेशन के कम्पोजीशन और प्रक्रिया को अधिकतम किया गया है और इसके भौतिक–रासायनिक मापदंडों का विश्लेषण किया गया है। इस तकनीक को मेसर्स निस्सो लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है।

9.13.6 सक्रिय जैव यौगिकों को निकालना और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध सुगंधित पौधों से कीटनाशक फार्मुलेशन्स का विकास, उनकी गुणवत्ता के पैरामीटर और रोजगार सृजन–

इस परियोजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के ट्विनिंग प्रोग्राम 2017–18 के अधीन, रसायन विज्ञान विभाग, मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ समन्वय को अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुगंधित पौधों के अर्क से माइक्रो इमल्सन केंद्रित इमल्सन, जेल, क्रीम जैसे पर्यावरण अनुकूल फार्मुलेशन्स का विकास करना है। अनुसंधान कार्य का ध्यान इन पौधों से हरित कीटनाशक फार्मुलेशन्स का विकास करने पर होगा, जो रासायनिक कीटनाशकों पर भार को कम करेगा।

9.13.7 मिर्च, भिंडी और टमाटर पर फ़िप्रोनिल 4% + एसिटामिप्रिड 4% एससी के अवशेष और कायम रहने पर अध्ययन। इस परियोजना को मेसर्स पारिजात इंटस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया है।

9.13.8 राजस्थान के विभिन्न भागों में उगाए जाने वाले फलों, सब्जियों, अनाज एवं मसालों, तिलहन के अवशेषों का अध्ययन।

9.13.9 जीसीएमएस / एलसीएमएसएमएस द्वारा फिप्रोनिल + एसिटामिप्रिड का प्रणालीगत विकास।

9.13.10 जैव प्रभावकारिता डेटा जेनरेशन– नए कॉमबिनेशन फार्मुलेशन्स, अर्थात इमामेक्टिन बेंजोएट 3.5% + लैम्ब्डा साइहेलोथ्रिन 5% डब्ल्यूपी, थायोडिकार्ब 50% डब्ल्यूपी + इमिडाक्लोप्रिड 5% डब्ल्यूडीजी, थायोफिनेट मिथाइल 15% + सीओसी 40% डब्ल्यूपी, इंडोक्सैकार्ब 9% + इमामेक्टिन बेंजोएट 1% एससी का मूल्यांकन प्रमुख कीटों, अर्थात फ्रूट बोरर, थ्रिप्स और घुन और बीमारियों, अर्थात टमाटर और मिर्च के खेत में लगी फसलों पर ब्लाइट और पत्तों पर निशान के मुकाबले में किया जाएगा।

9.14 इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास

प्रगति / उपलब्धियां

9.14.1 प्रयोगशाला के पैमाने पर नीम आधारित मॉस्किटो कॉइल और सुरक्षा क्रीम के फार्मुलेशन्स के कम्पोजीशन एवं प्रोसेस को अधिकतम कियागया है। प्रायोगिक पैमाने पर इन फार्मुलेशन्स के उत्पादन के लिए प्रोसेस को बढ़ाने के लिए पायलट संयंत्र की डिजाइन और खाका को मानक के अनुसार बनाया गया है।

9.14.2 मच्छरों पर उसके जीवन चक्र के विभिन्न चरणों, जैसे कि लार्वा, प्यूपा और वयस्क चरण में नियंत्रण के लिए फार्मुलेशन तैयार किए गए हैं। इन सूत्रीकरणों में धुएं वाली कॉइल, सुरक्षा क्रीम और छिड़काव वाले फार्मुलेशन शामिल हैं। वयस्क मच्छरों पर नियंत्रण के लिए सुरक्षा क्रीम और कॉइल तैयार किए गए, जबकि लार्वा पर नियंत्रण के लिए छिड़काव वाले तेल का फार्मुलेशन तैयार किया गया। वयस्क मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कीटनाशक

मुक्त मच्छर जेल ट्रैप फार्मुलेशन तैयार करने के आगे प्रयास किए गए।

9.14.3 एक पादप–आधारित सामग्री की पहचान करने के लिए गहन अध्ययन संचालित किए गए, जो नीम–आधारित कीटनाशक के प्रभाव को बढ़ाता हो। इस सामग्री का उपयोग कृषि फसल कीट प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के फार्मुलेशन में किया गया।

9.14.4 कृषि फसल कीट प्रबंधन में कीटनाशकों की मात्रा में कमी लाने के लिए सिनर्जिस्ट की पहचान और प्रयोग की कोशिश की गई। चयनित सिनर्जिस्ट का प्रयोग करते हुए कीटनाशकों के डोज में 30% तक की कमी की जा सकी। टमाटर के फसल पर इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया था

9.14.5 मूंगफली में/पर क्लोरोथालोनिल 75% डब्ल्यूपी के अवशेषों पर अध्ययन– मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित।

9.14.6 गन्ना के पौधे में/पर आरजेकेपी 1505 (2, 4–डी मिथाइलमाइन साल्ट 58% डब्ल्यूएससी के कायम रहने पर अध्ययन– मेसर्स अतुल लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रायोजित।

9.14.7 गन्ना और उसके फसल की मिट्टी में/पर आरजेकेपी 1505 (2, 4–डी मिथाइलमाइन साल्ट 58% डब्ल्यूएससी के बहु–क्षेत्र फसल अवशेष पर अध्ययन– मेसर्स अतुल लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रायोजित।

9.14.8 चार भिन्न स्थानों में मिट्टी में आरजेकेपी 1505 (2, 4–डी डीमिथाइलमाइन साल्ट 58% डब्ल्यूएससी के कायम रहने पर अध्ययन– मेसर्स अतुल लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रायोजित।

9.14.9 बफ़र्ड वाटर में आरजेकेपी 1505 (2, 4–डी डीमिथाइलमाइन साल्ट 58% डब्ल्यूएससी के कायम रहने पर अध्ययन– मेसर्स अतुल लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रायोजित।

9.14.10 मिर्च में/पर जिबरेलिक एसिड 0.45% एसएल के कायम रहने पर अध्ययन– मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित।

9.14.11 मिर्च में/पर जिबरेलिक एसिड 0.45% एसएल के अवशेषों पर अध्ययन– मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित।

9.14.12 सोयाबीन में/पर इम्ज़ामॉक्स 35% + इमज़थपायर 35% डब्ल्यूजी के अवशेषों पर अध्ययन– मेसर्स पारिजात इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड द्वारा प्रायोजित।

9.14.13 धान (अनाज, पुआल, मृदा) में ट्राईसाइक्लाजोल 75% डब्ल्यूपी के अवशेषों पर अध्ययन।

9.14.14 खीरा और मिर्च में ट्रिबेसिक कॉपर सल्फेट 34.5% एससी का फील्ड मूल्यांकन।

9.14.15 चूसने वाले कीटों के खिलाफ डब्ल्यूसीपीएल एसटीएसएल की प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी।

9.14.16 काबुली चना के फसल के प्रमुख कीटों के खिलाफ मेथेरिज़ियम 1.15% डब्ल्यूपी का जैव–प्रभावकारिता मूल्यांकन।

9.14.17 बेवेरिया बेसियाना का जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी अध्ययन।

9.14.18 देर से पैदा होने वाले आलू के विरूद्ध कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8% डीएफ की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी।

9.14.19 कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारत के विभिन्न भागों से सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी – प्रत्येक माह हरियाणा के तीन जिलों– फरीदाबाद, रोहतक और पलवल से फल, सब्जियों (फार्म गेट, जैविक और मंडी), अनाज, दूध और पानी के लगभग 60 नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों का प्रसंस्करण और विश्लेषण जीसी (ईसीडी), जीसी (एफपीडी) और जीसी–एमएस जैसे परिष्कृत उपकरणों द्वारा किया गया। विश्लेषण वाले डेटा का संकलन कर उसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह तक परियोजना समन्वयक को भेजी गई। 90% से अधिक नमूने कीटनाशक अवशेषों से रहित पाए गए। लगभग 7.0% नमूने कीटनाशक अवशेषों के साथ पाए गए, जबकि उनमें से लगभग 2.0% में एमआरएल से अधिक कीटनाशक पाए गए।

9.15 आईपीएफटी के एनएबीएल प्रत्यायन की निरंतरता

9.15.1 आईपीएफटी कीटनाशकों और उनके फार्मूलेशनों, खाद्य मैट्रिक्स में कीटनाशक अवशेषों और सीडब्ल्यूसी से संबंधित रसायनों के विश्लेषण के लिए आईएसओ/आईईसी–17025 (2005) के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रूप में कायम है। प्रयोगशाला का पुनर्निधारण 25–26 मार्च, 2017 के दौरान किया गया और प्रयोगशाला का प्रत्यायन 23.04.2019 तक वैध है।

9.15.2 इस प्रयोगशाला को कीटनाशक फार्मूलेशन्स की जांच के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस (बीआईएस) की मान्यता प्राप्त है।

9.16 "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनेलिटिकल कैमेस्ट्री (पीजीडीएसी)" के लिए कार्यक्रम अध्ययन केंद्र

9.16.1 आईपीएफटी 2018–19 के लिए "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिकल कैमिस्ट्री (पीजीडीएसी)" के लिए इग्नू का कार्यक्रम अध्ययन केंद्र बना हुआ है।

9.17 जीबी बैठक

9.17.1 आईपीएफटी की शासी निकाय की 37वीं बैठक रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 9 अगस्त, 2018 को आयोजित की गई।

9.18 क्रिया कलाप

9.18.1 आईपीएफटी रसायन/कृषि रसायन क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। आईपीएफटी में दिए जाने वाले कुछ पाठ्यक्रम निम्न हैं:

पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशनों की मूल तकनीकें; कीटनाशकों और उनके फार्मूलेशन के क्यूए/क्यूसी; कीटनाशक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग; कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण; जीसी, एचपीएलसी, जीसी–एमएस, जीसी–एमएस/एमएस, एलसी–एमएस/एमएस के मूल सिद्धांत; एडवांस्ड ट्रेनिंग ऑन जीसी, एचपीएलसी, जीसी–एमएस, जीसी–एमएस/एमएस, एलसी–एमएस/एमएस, जैविक कीटनाशकों, प्रयोगशाला और कृषि और जनस्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए नए मोलिक्युल्स और कीटनाशकों के फील्ड मूल्यांकन में बायोटेक अनुप्रयोग; और एकीकृत कीट प्रबंधन। आईपीएफटी ग्रामीण कृषि और गहन फसलों के प्रबंधन के विकास के तहत किसानों की फैसलों और किसानों की बैठकों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों/कीटनाशक उद्योगों से शोध विद्वान/छात्र और एक्जीक्यूटिकव आईपीएफटी आते है। हाल ही में नेपाल के वैज्ञानिकों ने 17 से 19 अगस्त, 2017 के दौरान "कृषि और जनस्वास्थ्य अनुप्रयोग के लिए नीम आधारित फॉर्मूलेशन का विकास" पर प्रशिक्षण लिया।

9.19 उद्योग कार्मिकों/छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.19.1 वर्ष के दौरान आईपीएफटी ने विश्वविद्यालयों के छात्रों और भारतीय उद्योग के कर्मियों के लिए जीसी, एचपीएलसी, जीसी–एमएस, एलसी–एमएसएमएस के फार्मुलेशन, विश्लेषण ात्मक तकनीकों के बुनियादी सिद्धांतों पर 9 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

9.19.2 एसीएबीसी के अंतर्गत 60 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम– वर्ष 2017–18 के दौरान आईपीएफटी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एसीएसीबी योजना के अंतर्गत भारत के बेरोजगार युवा किसानों को 60 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एमएएनएजीई, हैदराबाद द्वारा नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। जनवरी–मार्च, 2018 के दौरान इस प्रकार के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें 18 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

9.19.3 विदेशी नागरिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम– वर्ष 2017–18 के दौरान आईपीएफटी ने कृषि विभाग, नेपाल से संबंधित 04 विदेशी नागरिकों के लिए फार्मुलेशन विकास पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया।

9.19.4 वेरीफिन प्रयोगशाला, फ़िनलैंड में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम– वर्ष 2017–18 के दौरान ओपीसीडब्ल्यू, द हेग के प्रायोजन के अंतर्गत वेरीफिन प्रयोगशाला, फिनलैंड में विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान कौशल विकास पर छह महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आईपीएफटी के वैज्ञानिक श्री मुकेश कुमार सिंह का चयन किया गया था।

9.20 परामर्शी सेवाएं

9.20.1 आईपीएफटी क्यूए/क्यूसी कीटनाशक विनिर्माण एवं स्थापना प्रयोगशालाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर विभिन्न कृषि रसायन उद्योगों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता रहा है। वर्ष के दौरान आईपीएफटी ने निम्नलिखित भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को परामर्शी सेवाएं प्रदान कीः

1. मेसर्स एंटोवेस्ट, तुर्की
2. घर्दा केमिकल्स लि., मुंबई

9.21 जागरुकता एव विस्तारण कार्यकलाप

9.21.1 आईपीएफटी किसानों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से जागरुकता पैदा कर रही है और विस्तार गतिविधियां आयोजित कर रहा है –

- कीटनाशक अनुप्रयोग टेक्नोलॉजीज में किसानों को शिक्षित करने के लिए गांवों की पहचान करना और उन्हें गोद लेना।
- नवीनतम कीट समस्याओं के संबंध में सर्वेक्षण करना एवं फीडबैक प्राप्त करना।
- जैविक खेती के बारे में किसानों को शिक्षित करना और स्वदेशी तकनीक/पारंपरिक ज्ञान के उपयोग का प्रचार करना।
- कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) के माध्यम से कीटनाशकों के उचित उपयोग के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विभिन्न कृषि मेलों, सम्मेलनों, कृषि प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी।

9.22 राजभाषा संबंधी कार्यकलाप

- तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पत्रों के साथ द्विभाषी कवर पत्र उपयोग किए गए। बिलों के प्रारूप/परीक्षण रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार की गईं।
- आईपीएफटी की अपनी स्वयं की द्विभाषी वेबसाइट है।

- 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी प्रकाशित की गई थी
- आईपीएफटी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), गुड़गांव का सदस्य है।
- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में दिए गए।
- कोड, नियमावली, प्रपत्र, प्रक्रिया साहित्य द्विभाषी रूप में हैं।
- आईपीएफटी के कर्मचारी श्री सुदीप मिश्रा, वैज्ञानिक (विश्लेषणात्मक) ने 30.01.2017 को नराकास द्वारा आयोजित हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और दूसरा पुरस्कार जीता।

9.23 स्वच्छ भारत मिशन

9.23.1 कीटनाशक फार्मुलेशन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी), गुरूग्राम में 01 सितंबर, 2018 से 15 सितंबर, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और उसके दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:–

- आईपीएफटी में वर्ष 2018–19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत हर महीने निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

  (क) प्रशासन ब्लॉक की दैनिक सफाई
  (ख) प्रयोगशाला भवन की दैनिक सफाई
  (ग) शौचालयों और मूत्रालयों की दैनिक सफाई
  (घ) लॉन की अप्रोच सड़कों की दैनिक सफाई
  (ङ.) मासिक आधार पर जल भंडारण टैंक की सफाई
  (च) नजदीकी क्षेत्रों के सड़कों जैसे एनएच–8, उद्योग विहार आदि की सफाई

- अधिकारियों/कर्मचारियों को सामूहिक शपथ दिलाई गई।
- निदेशक, आईपीएफटी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आईपीएफटी परिसर में वृक्षारोपण किया।
- कर्मचारियों को स्वच्छता संदेश की छपाई वाले टी–शर्ट बांटे गए।
- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वीडिंग के लिए पुराने रिकॉर्ड्स/फाइलों की पहचान की गई। रद्दी के रूप में हटाए जाने के लिए पुरानी सामग्रियों की पहचान की गई।
- स्वच्छता अभियान मनाया गया (पखवाड़ा)– 01.09.2018 से 15.09.2018

9.24 स्वच्छ भारत के लिए संवर्धनात्मक गतिविधि

9.24.1 निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आईपीएफटी के कर्मचारियों और परियोजना के कर्मचारियों द्वारा निबंध लिखा जाना अपेक्षित था। पखवाड़ा के समापन पर चयनित प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए गए।

श्री पी. राघवेंद्र राव, सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) का 26–03–2018 को आईपीएफटी प्रयोगशालाओं और पायलट संयंत्र का दौरा

निदेशक, आईपीएफटी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 सितंबर, 2018 को आईपीएफटी परिसर में वृक्षारोपण किया

4–7 सितंबर, 2018 के दौरान परिसर के भीतर सफाई क्रियाकलाप
निदेशक, आईपीएफटी और सभी कर्मचारियों ने 14 सितंबर, 2018 को परिसर और आस–पास के क्षेत्रों में श्रमदान में भाग लिया।

डॉ. कुलदीप शर्मा, पूर्व निदेशक (डीकेएमए) द्वारा 14 सितंबर, 2018 को सामूहिक अपील

*****

अध्याय – 10

संवर्धनात्मक गतिविधियां और प्रमुख कार्यक्रम

इंडिया केम 2018

10.1 भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, फिक्की के सहयोग से रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, वर्ष 2000 से द्विवार्षिक रूप से "भारत रसायन" कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

10.2. इंडिया केम 2018 के 10वें संस्करण का आयोजन "रसायन एंड पेट्रोरसायन– एडवांटेज इंडिया" थीम के साथ मुंबई में 04–06 अक्टूबर, 2018 के दौरान किया गया था। 04 अक्टूबर, 2018 को, श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने इस समारोह का उद्घाटन किया। रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के उद्योग के नायक सम्मेलन में शामिल हुए। माननीय मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में, रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के तरीकों पर गौर करने का आग्रह किया और वैश्विक निवेशकों को अवगत कराया कि भारतीय पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश करने की अपार संभावना है।

श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री दिनांक 4.10.2018 को मुंबई में इंडिया केम 2018 का उद्घाटन करते हुए

10.3. श्री यूसेफ अल–बेन्यान, वाइस चेयरमैन और सीईओ, एसएबीआईसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मुख्य भाषण में उल्लेख किया कि भारत और सऊदी अरब विकास की ओर अग्रसर राष्ट्र हैं। इस फोरम ने रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग में आगे और रिश्तों को बनाने का

अवसर दिया है। श्री निखिल मेसवानी, कार्यकारी निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत के पक्ष में अपने मुख्य भाषण में उल्लेख किया कि भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग एक दिलचस्प चरण में है, क्योंकि भारत गतिशील विकास के अवसर प्रदान करता है।

10.4. इंडिया केम 2018 की मुख्य विशेषताएं:

- अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, चीन, दुबई, जर्मनी, ईरान, इजरायल, कुवैत, मलेशिया, पुर्तगाल, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और जापान जैसे 24 अग्रणी देशों से भागीदारी;
- राज्यों की भागीदारी: महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड;
- 285 प्रदर्शक कंपनियाँ (अंतर्राष्ट्रीय –147, राष्ट्रीय–138);
- विनिर्माण, अंतिम उपयोगकर्ताओं और मध्यवर्ती खंडों से 60 से अधिक सम्मानित वक्ता;
- 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने सम्मेलनों में भाग लिया;
- भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग पर एक ज्ञान रिपोर्ट जारी,
- 27 पुरस्कार श्रेणियों के साथ फिक्की केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स अवाड्र्स 2018 वितरित किया गया।
- विभिन्न देशों से 16,162 व्यापारी आगंतुक की भागीदारी।

10.5. इंडिया केम 2018 के भाग के रूप में आयोजित समवर्ती कार्यक्रम:

- ग्लोबल सीईओ राउंड टेबल
- इंडिया केम 2018 के साथ मेल खाते हुए इंडियन केमिकल काउंसिल द्वारा कॉन्क्लेव विद ओवरसीज इंडस्ट्री असोसिएशंस का आयोजन किया गया
- जापान एक्सर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जेइटीआरओ) द्वारा समर्थित भारत–जापान रसायन और पेट्रोरसायन फोरम
- इंडो–जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईजीसीसी) द्वारा समर्थित भारत–जर्मनी रसायन और पेट्रोरसायन फोरम
- फिक्की रसायन और पेट्रोरसायन पुरस्कार वितरण समारोह
- केमएक्ससिल द्वारा क्रेता विक्रेता मिलन
- भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग पर कॉन्क्लेव
- प्रोसेस, प्लांट मशीनरी, पंप्स एंड वाल्व्स पर कॉन्क्लेव
- कृषि–रसायन उद्योग पर कॉन्क्लेव

10.6. इंडिया केम 2020

इंडिया केम 2020 के 11 वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर, 2020 के माह के दौरान बॉम्बे एक्जिबिशन सेंटर, मुंबई में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

*****

अध्याय – 11

सामान्य प्रशासन

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

11.1 विभाग का मुख्य कार्य रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों के लिए नीति बनाना, इस क्षेत्र की प्लानिंग, संवर्धन तथा विकास करना है। विभिन्न प्रकार के रसायन और पेट्रोरसायन के निर्माण में संलग्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ इन सेक्टरों में संलग्न स्वायत्त संस्थाओं का प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण विभाग के कुछ प्रमुख कार्य हैं।

11.2 सचिव, भारत सरकार, विभाग के प्रमुख हैं और एक अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, दो संयुक्त सचिव, एक उप महानिदेशक, एक आर्थिक सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक उनकी सहायता करते हैं (संगठन चार्ट अनुबंध–IV में दिया गया है) ।
विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों को रोजगार

11.3 विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों के रोजगार की स्थिति 31.03.2019 के अनुसार निम्न तालिका में दी गई हैः–

समूह	पदों की कुल सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांग
क	36	6	1	0
ख	75	12	1	0
ग	77	13	3	1
कुल	**188**	**31**	**5**	**1**

11.4 समूह 'क' के अधिकारियों में अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी, केंद्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी और विभाग के तकनीकी पदों के अधिकारी शामिल हैं। समूह 'ख' और 'ग' के पदों की नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राजभाषा विभाग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भेजे गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

अभिलेख प्रबंधन

11.5 केन्द्र सरकार के सरकारी रिकार्डों का प्रबंधन, प्रशासन तथा संरक्षण का विनियमन करने के लिए संसद ने 'सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993' अधिनियम बनाया है। केन्द्र

सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए नियम भी बनाए हैं। अधिनियम की धारा 6(1) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सामान्य प्रशासन के प्रभारी अवर सचिव को विभाग में रिकार्ड अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। विभाग का एक आधुनिक अभिलेख कक्ष उद्योग भवन में स्थित है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

11.6 विभाग में तथा इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति पर सांविधिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक हिन्दी अनुभाग है। वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 10 दिसंबर, 2018 तक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में और उसके पश्चात उप महानिदेशक के मार्गदर्शन में हिन्दी अनुभाग के कार्य का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा किया गया।

11.7 विभाग में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 15–30 सितम्बर, 2018 के दौरान किया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, टिप्पण आलेखन, अनुवाद, कविता पाठ तथा एमटीएस कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से हिन्दी निबंध लेखन पर पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

11.8 तत्कालीन माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 16.07.2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार ने विभाग की ओर से भाग लिया। राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए एचआईएल, सिपेट एवं एचओसीएल को राजभाषा पुरस्कार दिए गए।

11.9 वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2018 और 25.09.2018 को विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक श्री आर.के. कामरा, उपमहानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2018 को आयोजित की गई। इन बैठकों में राजभाषा हिन्दी

के प्रयोग पर की गई प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी सुधार किए जाने के उद्देश्य से सुझावों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया।

11.10 विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा अनुमोदित दो प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं, नामतः (1) हिंदी में मूल टिप्पण/आलेखन और (2) हिन्दी में डिक्टेशन देना, लागू की गई। इसके अतिरिक्त हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के लिए सचिव महोदय की ओर से व्यक्तिशः आदेश भी जारी किए गए।

11.11 संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 02.05.2018 को सिपेट, लखनऊ, 06.06.2018 को आईपीएफटी, गुरुग्राम, 08.10.2018 को सिपेट, चेन्नई, 30.10.2018 को सिपेट, भुवनेश्वर तथा 23.02.2019 को आईपीएफटी, गुरुग्राम का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। इसी क्रम में विभाग द्वारा 06.04.2018 को सिपेट, कोच्चि, 07.04.2018 को एचआईएल उद्योगमंडल, कोच्चि, 21.05.2018 को आईपीएफटी, गुरुग्राम, 21.06.2018 को सिपेट मुख्यालय, चेन्नई, 01.10.2018 को सिपेट, अहमदाबाद, 20.02.2019 को हिल (इंडिया) लि., नई दिल्ली और 28.02.2019 को एचओसीएल, कोच्चि का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। इसी भांति हिंदी अनुभाग द्वारा सितंबर–अक्टूबर, 2018 माह के दौरान विभाग के सभी अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उपसथित अधिकारियों/कर्मचारियों से विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने और उनके समक्ष हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने संबंधी सुझाव दिए गए।

11.12 विभाग में दिनांक 28.06.2018 और दिनांक 21.08.2018 को 2 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दोनों कार्यशालाओं का विषय "राजभाषा नीति तथा उसका अनुपालन" था। उक्त कार्यशालाओं में विभाग के 47 अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।

मॉरीशस में 18 से 20 अगस्त, 2018 के दौरान 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार द्वारा विभाग का प्रतिनिधित्व किया गया जिसमें राजनीतिक जगत के साथ–साथ विश्व हिन्दी जगत की गणमान्य विभूतियां भी उपसथित थीं।

11.13 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिकतर कागजात, जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कार्य निष्पादन बजट, अनुदान माँगें, संसद प्रश्न एवं आश्वासन, विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कागजात तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, मंत्रिमंडल नोट, विभागीय बेबसाइट अद्यतन करने संबंधी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। राजभाषा नियम, 1976 के नियम, 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि करने के प्रयास किए गए।

11.14 वर्ष के दौरान, विभिन्न अनुभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्टें समेकित करके डेटाबेस में शामिल कराने के लिए राजभाषा विभाग को भेजी गई। विभाग के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई तथा उनमें पाई गई कमियों को सुधारने के लिए सुझाव दिए गए।

सतर्कता संगठन की गतिविधियां:

11.15 विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के एक पार्ट–टाइम मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का पद है, जो विभाग के कर्मचारियों एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच पड़ताल करते हैं। निदेशक, अवर सचिव और एक सतर्कता अनुभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की सहायता करते हैं।

11.16 29 अक्तूबर, 2018 से 3 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान 'भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' आयोजित किया गया। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। विभाग के साथ–साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू/स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी 29 अक्टूबर, 2018 को इंटिग्रिटी की शपथ ली गई।

लिंग समानता

11.17 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है। यह समिति जून 2002 से कार्यरत है। वर्तमान में संयुक्त सचिव (पेट्रोरसायन) समिति की अध्यक्ष हैं। 17 सितंबर, 2018 का आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

I विभाग की वेबसाइट पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आईसीसी के गठन की जानकारी अपलोड की गई।

II महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए शिकायत बॉक्स लगाया गया।

अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

11.18 दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 का लक्ष्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान को बरकरार रखना और किसी प्रकार के भेद–भाव को रोकना है। यह किसी भी प्रकार की अशक्तता वाले व्यक्ति की स्वीकार्यता और ऐसे व्यक्तियों के समाज में समावेशन और उनकी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की वकालत करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार अशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किया जाता है।

11.19 अशक्त व्यक्तियों के लिए वास्तविक परिवेश एवं अन्य सुविधाएं और सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। विभाग का सूचना एवं सुविधा केंद्र विशेष रूप से शास्त्री भवन में भूतल पर स्थापित किया गया है, ताकि ऐसे व्यक्ति वहां आसानी से एवं बिना परेशानी के पहुंच सकें। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अशक्त व्यक्तियों की समस्याओं को सुनने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

11.20 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग समूह 'क' में 6 तकनीकी पदों, समूह 'ग' में स्टाफ कार चालकों के 5 पदों, वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर के 2 पदों, डिस्पैच राइडर का 1 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 48 पदों के संबंध में कैडर नियंत्रक प्राधिकरण है।

विभाग में स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजनः

11.21 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2018 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया गया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान, विभाग ने बैनरों के प्रदर्शन, विशेष सफाई अभियान, पुरानी फाइलों/दस्तावेजों की छंटाई/निपटारा, कूड़ेदान और सैनिटरी नैपकिन इनसिनरेटर्स लगाने जैसे अनेक क्रियाकलाप किए।

श्री राव इंद्रजीत सिंह, माननीय राज्यमंत्री (रसायन एवं उर्वरक) सिपेट के मुरथल केंद्र में सफाई अभियान की अगुवाई करते हुए।

11.22 सचिव ने 5 सितंबर 2018 को विभाग के अधिकारियों को स्वच्छ्ता पखवाड़ा के भाग के रूप में एंटी लिटरिंग' शपथ दिलाई।

11.23 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने 1 सितंबर 2018 से 15 सितंबर 2018 तक स्वच्छ्ता पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता पखवाड़ा 2018 के मनाए जाने के दौरान विभाग ने MyGov पोर्टल पर– स्लोगन लेखन, पैराग्राफ लेखन और नए विचारों की क्राउड सोर्सिंग के लिए 'एंटी–लिटरिंग' पर एक शपथ और 3 प्रतियोगिताएं शुरू की। संबंधित श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। पखवाड़ा के क्रियाकलापों के दौरान की गई दो अन्य गतिविधियाँ थीं– "गंदगी अर्थात बीमारी को निमंत्रण" और "आओ चलें स्वछता की ओर" विषय पर क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में निबंध लेखन प्रतियोगिता और कविता पाठ प्रतियोगिता। 19 सितंबर, 2018 को मुरथल में सीएसटीएस, सिपेट केंद्र में विभाग द्वारा "प्लास्टिकः सकारात्मक गुण और प्रबंधन" पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

11.24 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है और स्वछता पखवाड़ा में विभिन्न स्वछता गतिविधियों के मामले में विभाग के उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे स्वछता पखवाड़ा पुरस्कार–2019 का एक शील्ड प्रदान किया है।

11.25 पखवाड़ा मनाए जाने के दौरान, विभाग ने "स्वच्छ्ता पर प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा संवाद" का आयोजन किया। श्री मीर रंजन नेगी, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और हॉकी कोच, को विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ "खिलाड़ियों के स्वस्थ प्रदर्शन के लिए स्वच्छ्ता का महत्व" पर बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बातचीत में काफी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए और उसकी बहुत सराहना की गई।

सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संस्थानों में 'स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजनः

11.26 'स्वछता पखवाड़ा' के दौरान, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने कार्यालय परिसरों/कारखानों/प्रयोगशालाओं/शौचालयां/परिसरों की सफाई, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और सेनेटरी नैपकिन इनसिनरेटर्स

को लगाने तथा स्वछता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों में निबंध लेखन, ड्राइंग, कार्टून और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं का आयोजन रैलियों का संचालन, पर्चे का वितरण, स्वच्छता पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना, स्वछता पर बातचीत आदि जैसी गतिविधियां संचालित की गईं।

स्वच्छता ही सेवा अभियान

11.27 विभाग के साथ–साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संस्थानों ने सक्रिय रूप से "स्वच्छता ही सेवा" अभियान में भाग लिया, जिसका उद्देश्य

स्वच्छ भारत की दृष्टि को साकार करने के लिए इसे जनान्दोलन बनाना था। राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) श्री राव इंद्रजीत सिंह ने 19.09.2018 को सिपेट के कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस), मुरथल में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधिकारियों और इसके सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्वछता के लिए श्रमदान किया। श्रमदान में कार्यालय परिसरों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों, छात्रावासों, शौचालयों, अपशिष्ट संग्रह अभियानों और जागरूकता अभियान और पौधारोपण की गतिविधियों को शामिल किया गया।

विभाग के डलळवअ पहल

11.28 MyGov भारत सरकार का नागरिक सहभागिता मंच है, जिसका उद्देश्य भारत के शासन और विकास में सक्रिय नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। MyGov को कई प्रकार के तरीकों का उपयोग करके सरकार और नागरिकों के बीच जुड़ाव की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 26 जुलाई, 2014 को लॉन्च किया गया था।

11.29 विभाग ने 27.07.2018 को MyGov के माध्यम से दो प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया (i) ″सफलता की कहानियांः नागरिकों के दैनिक जीवन में प्लास्टिक के सकारात्मक प्रभाव″ पर अनुच्छेद लेखन और (ii) ″प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में नकारात्मकता को दूर करने और प्लास्टिक की सकारात्मक भूमिका को सामने लाने″ पर नारा लेखन। विभाग ने ″बेहतर पर्यावरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन उत्पत्ति से लेकर अंत तक निपटान सामग्री समाधान ″विषय पर MyGov प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विचार मांगे।

11.30 सितंबर, 2018 के पहले पखवाड़े के दौरान, मुरथल में विभाग के स्वच्छ्ता पखवाड़ा को जारी रखते हुए 19.09.2018 को ″प्लास्टिक कचरा निपटान और पुनर्चक्रण″ पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसका उद्घाटन रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, श्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा किया गया था।

राष्ट्रीय एकता दिवस

11.31 31/10/2018 को विभाग में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर, सचिव द्वारा विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई।

मेक इन इंडिया

11.32 दिनांक 24 मई, 2017 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने "सार्वजनिक क्रय में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति" को अनुमोदित किया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 जारी किया है, जो सार्वजनिक क्रय में सभी सरकारी एजेंसियों को मेक इन इंडिया को प्राथमिकता प्रदान करने का का आदेश देता है। इस नीति का लक्ष्य सार्वजनिक क्रय में घरेलू निर्माताओं को बाजार में प्राथमिकता वाली पहुंच और विश्वसनीय मांग का अवसर प्रदान कर घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग को 'रसायन क्षेत्र' में वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में निर्धारित किया गया है।

11.33 विभाग ने छह रसायनों अर्थात(i) सोडा ऐश, (ii) कास्टिक सोडा, (iii) एल्युमीनियम फ्लोराइड, (iv) कार्बन ब्लैक, (v) फॉर्मेल्डिहाइड और (vi) क्लोरीन के लिए 25 मई, 2018 को सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश जारी किया है। ।

11.34 इसके बाद विभाग ने 23 अक्टूबर, 2018 को 49 अतिरिक्त रसायनों, पेट्रोरसायन, डाइस्टफ और कीटनाशकों के लिए सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 जारी किया है।

लोक शिकायतों का निवारण

11.35 इस विभाग में एक आंतरिक शिकायत निवारण मशीनरी कार्य करता है, जो सभी लोक शिकायतों पर गौर करती है। 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, विभाग में 823 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई। इस विभाग में लोक शिकायतों के निवारण की दर लगभग 99% है। उप महानिदेशक (डीडीजी) को विभाग की लोक शिकायत के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। लोक शिकायत के नोडल अधिकारी के नाम, पदनाम, कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि को विभाग की वेबसाइट (http://chemicals.gov.in) पर प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक डिवीजन में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो संबंधित डिवीजनों से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

11.36 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत विभाग में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले आवेदन को उन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक अधिकारियों के पास भेजती है, जो विषय वस्तु से संबंधित होते हैं और यह केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करता है।

क) सभी अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत उनके विषयों के अनुसार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

ख) सभी निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके साथ सीपीआईओ के रूप में काम करने वाले अवर सचिवों / अनुभाग अधिकारियों के संबंध में अधिनियम की धारा 19 (1) के संदर्भ में अपीलीय अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

ग) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति की सुविधा के लिए विभाग के रिसेप्शन काउंटर पर आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से प्राप्त आवेदनों को आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकरणों को आगे अग्रेषित कर दिया जाता है।

घ) वर्ष 2018–19 के दौरान यानी 01.04.2018 से 31.03.2019 तक 341 आरटीआई आवेदन और 38 आरटीआई प्रथम अपील इस विभाग में प्राप्त हुए। आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इन्हें तुरंत संबंधित लोक प्राधिकरणों/सीपीआईओ को हस्तांतरित/अग्रेषित कर दिया गया।

ड.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, जिसे उनके दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2011–आईआर के द्वारी जारी किया गया है, यह मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से सभी आरटीआई आवेदनों, अपीलों और सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों के उत्तरों का निपटान कर रहा है।

*****

अनुबंध – I

उत्पादवार संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख रसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी आर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. एल्कली केमिकल्स									
सोडा ऐश	3031.00	3086.00	3464.00	2462.00	2583.01	2613.42	2989.57	3048.19	5.48
कास्टिक सोडा	3102.02	3297.22	3335.94	2442.89	2503.96	2594.50	2742.31	2925.35	4.61
तरल क्लोरीन	2289.26	2438.51	2474.20	1720.10	1714.82	1800.67	1899.41	2069.11	4.73
कुल	**8422.28**	**8821.73**	**9274.14**	**6624.99**	**6801.78**	**7008.58**	**7631.30**	**8042.65**	**4.97**
II. अकार्बनिक रसायन									
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	25.60	25.60	25.60	6.73	9.51	8.14	7.51	5.70	–4.09
कैल्शियम कार्बाइड	112.00	112.00	112.00	87.18	83.47	85.02	87.30	83.17	–1.17
कार्बन ब्लैक	640.00	640.00	640.00	444.35	469.56	535.27	530.36	546.39	5.30
पोटाशियम क्लोरेट	3.00	3.00	4.60	0.45	0.41	0.01	0.35	0.70	11.99
टाइटेनियम डाइऑक्साइड	82.50	82.50	82.50	47.88	58.53	58.46	57.82	57.06	4.48
लाल फास्फोरस	1.68	1.68	1.68	0.89	0.84	0.77	0.88	1.03	3.84
हाइड्रोजन पेरक्साइड	169.23	165.85	165.85	119.75	153.08	148.87	157.02	156.45	6.91
कैल्शियम कार्बोनेट	282.35	282.35	282.35	236.93	226.13	216.33	217.25	213.33	–2.59
कुल	**1316.35**	**1312.98**	**1314.58**	**944.15**	**1001.53**	**1052.87**	**1058.48**	**1063.83**	**3.03**
III. कार्बनिक रसायन									
एसिटिक एसिड	177.43	177.43	159.62	159.61	157.91	158.51	157.07	153.80	–0.92
एसिटिक एनहाइड्राइड	118.30	115.43	115.43	93.84	92.99	94.82	97.09	95.47	0.43
एसिटोन	47.14	47.14	47.14	25.98	24.96	26.79	32.87	40.74	11.90
फिनोल	76.75	76.75	76.75	42.26	40.42	43.57	53.45	65.39	11.53
मेथनोल	474.30	474.30	474.30	209.83	162.62	176.96	260.49	271.93	6.70
फार्मल्डीहाइड	411.30	411.30	411.30	255.95	242.09	244.19	248.23	226.61	–3.00
नाइट्रोबेंजीन	91.80	91.80	112.05	69.72	68.37	69.71	71.41	68.80	–0.33

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेलिक एनहाइड्राइड	6.40	6.40	6.40	3.20	3.54	3.53	3.31	4.56	9.21
पेंटा एरीथ्रीटोल	13.72	13.72	13.72	13.46	13.97	14.01	14.10	14.99	2.73
एनीलीन	60.10	54.10	54.10	34.47	39.40	41.45	41.88	37.85	2.36
क्लोरो मिथेन्स	221.10	221.10	219.92	220.71	220.18	221.51	222.43	285.53	6.65
आइसोब्यूटाइलबेंजिन	13.80	13.80	13.80	4.30	7.24	6.92	8.95	9.70	22.52
ओएनसीबी	30.00	30.00	30.00	16.13	19.26	22.55	24.90	23.70	10.10
पीएनसीबी	30.00	30.00	30.00	26.96	31.27	34.19	37.78	36.07	7.55
मेक	5.00	10.00	10.00	4.02	5.75	6.54	6.40	7.00	14.85
एसिटाल्डीहाइड	189.01	167.01	163.01	67.77	58.96	60.46	65.74	61.89	−2.24
इथेनोलेमाइन्स	17.76	17.76	17.76	13.76	13.25	13.11	13.20	16.70	4.96
इथाइल एसिटेट	545.83	520.63	526.63	327.94	360.40	371.27	411.49	440.56	7.66
मेंथौल	33.65	33.65	33.65	17.45	14.73	14.54	13.68	6.24	−22.67
ओर्थो नाइट्रो टोल्यूईन	16.40	16.40	19.00	11.74	11.52	13.80	14.39	16.89	9.52
कुल	**2579.78**	**2528.71**	**2534.57**	**1619.11**	**1588.83**	**1638.44**	**1798.85**	**1884.42**	**3.87**
IV. **पेस्टीसाइड्स एवं इंसेक्टी साइड्स**									
डीडीटी	6.34	6.34	6.34	3.63	2.09	2.26	1.27	1.37	−21.66
मेलाथियॉन	3.80	3.80	3.80	2.24	2.04	2.26	3.29	4.39	18.31
डाइमीथोएट	1.45	1.45	1.45	1.43	1.44	1.37	1.18	1.26	−3.22
डीडीवीपी	33.92	33.92	33.62	6.66	7.22	8.13	8.13	9.14	8.24
क्वीनलफोस	2.80	2.80	2.20	1.88	0.84	1.29	1.18	0.89	−17.18
मोनोक्रोटोफोस	13.94	13.94	13.94	6.97	5.48	6.58	5.50	5.30	−6.62
फोस्फामिडोन	2.00	2.00	2.00	0.13	0.13	0.09	0.11	0.00	−100.00
फोरेट	10.13	12.40	12.40	6.62	5.92	5.91	7.02	5.85	−3.05
इथीयोन	2.20	2.20	2.20	1.60	1.72	2.11	2.38	1.32	−4.79
फेनवेलीरेट	3.60	3.60	3.60	0.51	0.56	0.53	0.74	0.70	7.94
साइपरमेथरिन	27.79	24.33	24.43	8.59	8.53	7.88	8.25	10.95	6.27
एसिफेट	19.67	19.67	18.97	17.97	16.58	16.27	18.27	19.63	2.24
क्लोरपाइरीफोस	16.85	19.15	18.48	9.73	6.87	5.87	7.98	7.14	−7.44
ट्राइएजोफेस	3.90	3.36	3.36	1.00	1.72	2.37	1.54	0.89	−2.98
टेमीफोस	0.25	0.25	0.25	0.00	0.08	0.08	0.10	0.08	0.00
डेल्टामिथ्रिन	0.61	0.61	0.62	0.51	0.38	0.37	0.55	0.68	7.48
एल्फामिथ्रिन	0.50	0.50	0.50	0.75	0.23	0.10	0.32	0.34	−17.59

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रोफेनेफोस तकनीकी	12.90	10.50	10.50	7.58	6.85	10.50	9.95	12.45	13.22
प्रीटीक्लोर तकनीकी	2.58	2.58	2.58	1.88	1.94	2.58	3.60	3.63	17.91
लैम्ब्डेसाइलोथ्रिन	2.40	2.40	2.60	0.47	0.42	0.74	1.14	0.62	7.09
फेन्थोएट	0.90	0.90	0.90	1.40	1.11	1.14	1.32	1.53	2.31
परमेथ्रिन टेक	1.97	1.97	1.67	1.70	1.30	1.10	1.53	1.86	2.33
इमीडेकेलोप्रिड टेक	1.13	1.13	1.13	0.56	0.20	0.18	0.34	0.10	–34.99
केप्टेन और केपटाफोल	3.45	3.43	3.43	2.38	2.12	1.79	1.76	1.93	–5.11
जिराम(थियो बारबा. मेट)	0.70	0.70	0.70	0.58	0.51	0.60	0.72	0.76	7.19
कारबिनडजिम									
(बेविस्टिन)	0.98	0.98	0.98	0.36	0.24	0.13	0.03	0.02	–50.68
मेनकोजेब	72.46	77.14	82.39	61.40	66.38	78.48	70.25	69.33	3.08
हेक्साकॉन्जोल	1.08	1.08	1.08	0.59	0.62	0.46	0.59	0.50	–4.13
मेटकॉनाजोल	0.75	0.75	0.75	0.61	0.39	0.35	0.40	0.34	–13.74
2,4–डी	22.00	26.00	27.00	11.62	18.46	23.36	25.83	24.24	20.17
बूटाक्लोर	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इथोफूमेसेट तकनीकी	1.56	1.65	1.43	0.62	0.50	1.04	1.29	1.04	13.91
थाइमेथॉक्सम तकनीकी	3.10	3.10	3.10	1.66	1.92	2.51	3.28	5.57	35.36
पेन्डीमेथेलिन	3.00	4.50	4.50	2.26	2.82	4.04	3.78	2.82	5.72
मेट्रिब्यूजिन	1.20	1.20	1.20	0.52	0.91	1.12	0.88	1.92	38.67
ट्राइक्लोपेयर एसिड टेक	0.30	0.30	0.30	0.19	0.30	0.28	0.15	0.13	–10.06
आइसोप्रोटयूरोन	6.25	6.25	6.25	2.43	1.95	0.13	0.00	0.00	–100.00
ग्लाइफोसेट	9.26	13.16	12.92	9.69	6.96	6.35	6.29	6.68	–8.86
डाइयूरोन	3.30	3.72	3.72	0.12	1.26	3.68	3.26	3.62	133.36
एट्राजिन	0.50	0.50	0.50	1.20	1.21	1.90	2.25	1.48	5.37
जिंक फॉस्फाइड	1.32	1.92	1.92	1.29	1.50	1.31	1.40	1.26	–0.59
एल्यूमिनियम फा. सफाइड	3.90	4.74	4.74	5.05	5.75	6.40	4.77	4.91	–0.69
डाइकोफोल	0.15	0.15	0.15	0.11	0.09	0.09	0.08	0.05	–16.51
कुल	**307.39**	**321.57**	**325.09**	**186.47**	**187.52**	**213.72**	**212.70**	**216.70**	**3.83**

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रंजक एवं रंजक पदार्थ										
एजो डाईज	22.62	22.62	21.14	10.59	9.71	9.89	10.98	8.99	−4.02	
एसिड डाइरेक्ट डाईज (एजो के अलावा)	44.90	44.90	44.90	17.23	20.57	19.86	21.15	24.13	8.79	
डिस्पर्स डाईज	55.21	71.01	67.21	29.56	43.57	41.35	46.72	55.24	16.92	
फास्ट कलर बेसेस	0.50	0.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	−100.00	
इंग्रेन डाईज	1.61	1.61	1.44	0.44	0.30	0.00	0.00	0.00	−100.00	
ऑयल साल्यूबल (सोलवेंट डाईज)	3.60	3.60	3.60	1.80	2.20	2.23	2.07	2.29	6.22	
आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	40.90	40.90	40.80	22.94	24.70	23.77	23.21	29.30	6.31	
ऑर्गेनिक पिंगमेंट	80.75	80.75	87.04	76.89	61.31	63.74	73.34	62.65	−4.99	
पिगमेंट इमलसन	5.41	5.41	5.41	9.64	9.67	10.61	10.16	9.78	0.35	
रिएक्टिव डाइज	171.82	170.59	178.49	89.47	106.12	120.87	151.86	151.33	14.04	
सल्फर डाइज (सल्फर ब्लैक)	3.00	3.00	8.25	9.38	9.55	10.07	7.32	7.54	−5.32	
वैट डाईज	2.98	2.98	2.86	1.77	1.44	1.52	1.65	1.78	0.16	
सॉल्यूबिलाइज्ड वैट डाईज	0.13	0.13	0.13	0.03	0.03	0.02	0.02	0.004	−40.54	
फूड कलर	0.00	0.00	0.00	0.66	0.71	0.75	0.78	0.786	4.54	
नेप्थोल्स	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
इनऑर्गेनिक पिगमेंट	18.05	18.05	18.05	14.82	14.19	15.41	17.88	16.29	2.39	
कुल	**452.37**	**466.95**	**480.22**	**285.23**	**304.05**	**320.11**	**367.14**	**370.11**	**6.73**	

टिप्पणी :उत्पादन एवं संस्थापित क्षमता के आंकड़े सिर्फ वृहत एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयों से प्राप्त एमपीआर पर आधारित हैं।

टिप्पणी:– पेस्टीसाइड्स उत्पादन करने वाली कुछ इकाईयां मिश्रित संस्थापित क्षमता की आपूर्ति करती हैं।

अनुबंध – II

उत्पादवार संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2017-18**	**2018-19**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
क : मूल प्रमुख रसायन									
I : सिन्थे टिक फाइबर्स / यार्न									
1. पॉलीमर्स फिलामेंट यार्न (पीएफवाई) (+)	2898.36	2841.29	2715.53	2178.749	2179.003	2200.908	2283.406	2316.43	1.54
2 नायलॉन फिलामेंट यार्न (एनएफवाई)	20	23	25		24	32	37	41	14.80
(++)	61.96	63.96	63.96	32.449	37.251	40.906	40.008	46.615	9.48
3. नायलॉन इंडस्ट्रियल यार्न (एनआईवाई) (++)	93.58	93.58	93.58	100.524	94.866	103.559	107.585	109.545	2.17
4. पोलीप्रा. पाइलीन फिलामेंट यार्न (पीपीएफवाई) (++)	3.60	3.60	3.60	5.14	3.467	3.394	3.146	2.356	–17.72
उप कुल यार्न (1+2+3+4)	**3057.49**	**3002.42**	**2876.67**	**2316.86**	**2314.59**	**2348.77**	**2434.15**	**2474.95**	**1.66**
5. एक्रेलिक फा. इबर (आईएसी ड्राई स्पन) (एएफ)	107.00	107.00	107.00	89.63	105.87	95.39	90.97	99.45	2.64
6. पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)	1256.56	1256.08	1256.56	1021.25	1039.65	1056.00	1005.30	931.44	–2.27
7. पॉलीप्रोपीलीन स्टेपल फाइबर (पीपीएसएफ)	32.13	32.13	32.13	25.42	27.04	24.56	22.24	20.74–4.96	-10.90
8. पॉलीस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)	69.00	69.00	69.00	57.30	51.05	53.65	51.33	52.99	–1.93
9. पॉलीस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई)	21.50	21.50	21.50	32.45	37.25	40.91	40.01	46.62	9.48
10. इलास्टोमेरिक स्पैन्डेक्स फिलामेंट यार्न	5.00	5.00	8.50	100.52	94.87	103.56	107.59	109.55	2.17
कुल सिन्थेटिक फाइबर्स / यार्न	**4548.68**	**4493.13**	**4371.35**	**3643.42**	**3670.32**	**3722.84**	**3751.58**	**3735.74**	**0.63**

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II : पॉलीमर्स									
1. लाइनर लॉ डेनसिटी पॉलीइथाइलीन (एलएलडीपीई)	No separate Capacity			910.257	1204.568	1318.263	1290.046	1581.224	14.80
2. हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)	No separate Capacity			1155.794	1317.151	1520.037	1578.378	1597.676	8.43
एलएलडीपीई / एचडीपीई (मिश्रित)(+++)	3135.00	3135.00	3135.00	2066.05	2521.72	2838.30	2868.42	3178.90	11.37
3. लॉ डेनसिटी पॉलीइथाइलीन (एलडीपीई)	160.00	160.00	160.00	184.40	200.03	201.76	185.66	193.05	1.15
4. पॉलीस्ट्रीन (पीएस)	472.00	472.00	471.00	281.17	308.58	311.35	301.58	292.86	1.02
5. पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)	4456.20	4456.20	4456.20	3614.82	4284.42	4253.39	4350.20	4779.02	7.23
6. पॉली विनायल क्लोरा. इड (पीवीसी)	1423.00	1493.00	1493.00	1330.44	1437.89	1461.53	1466.08	1488.40	2.84
7. विस्तार योग्य पॉलीस्ट्रीन (ईएक्स–पीएस)	121.80	122.80	126.30	80.68	86.20	96.77	103.91	108.27	7.63
कुल पॉलीमर्स	**9768.00**	**9839.00**	**9841.50**	**7557.57**	**8838.84**	**9163.10**	**9275.85**	**10040.50**	**7.36**
III : सिन्थेगटिक रबर									
1. स्टेरीन बुटाडीन रबर (एसबीआर)	271.00	271.00	271.00	57.25	124.80	167.33	193.97	228.64	41.37
2. पॉली बुटाडीन रबर (पीबीआर)	114.00	114.00	114.00	107.54	113.93	117.09	113.63	122.23	3.25
3. नाइट्रीलिन बुटाडीन रबर (एनबीआर)	25.30	25.30	25.30	0.38	0.39	0.35	0.05	0.00	–100.00
4. इथाइल विनायल एसीटेट(ईवीए)	15.00	15.00	15.00	6.42	2.41	0.00	0.00	0.00	–100.00
कुल सिन्थेटिक रबर	**425.30**	**425.30**	**425.30**	**171.59**	**241.53**	**284.78**	**307.66**	**350.87**	**19.58**
IV : सिन्थेटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती									
1. लीनियर एलेकेल बेंजीन (एलएबी)	547.40	547.40	547.40	410.54	377.20	447.65	451.53	454.82	2.59

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी आर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. इथाइलीन ऑक्साइड (ईओ)	140.00	140.00	140.00	185.32	188.31	216.06	291.30	232.34	5.82
कुल सिन्थेटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती	**687.40**	**687.40**	**687.40**	**595.86**	**565.51**	**663.71**	**742.82**	**687.16**	**3.63**
V : परफोरमेंस प्लास्टिक									
1. एबीएस रेजीन	128.00	140.00	140.00	107.28	117.01	117.77	145.23	148.18	8.41
2. नायलोन–6 एवं नायलोन 66	28.20	28.20	28.20	20.75	21.44	21.54	20.56	21.52	0.92
3. पोलीमर मेथाक्रायलेट (पीएमएमए)	3.50	3.50	3.50	1.05	1.47	0.29	0.02	0.00	–100.00
4. स्ट्रीन एक्रोलॉनिटिल (एसएएन)	136.00	148.00	148.00	88.77	98.68	99.24	114.69	131.76	10.38
5. पीईटी चिप्स / पॉलीस्टर चिप्स	2702.91	2605.06	2477.40	1361.98	1452.93	1548.70	1424.60	1271.09	–1.71
6. पीटीएफई (टेफलॉन)	19.71	19.80	19.80	11.35	8.75	11.73	13.72	16.24	9.36
कुल परफार्मेंस प्लास्टिक्स	**3018.32**	**2944.56**	**2816.90**	**1591.18**	**1700.27**	**1799.27**	**1718.81**	**1588.79**	**–0.04**
कुल मूल प्रमुख पेट्रोरसायन									
(I+II+III+IV+V)	**18447.70**	**18389.39**	**18142.45**	**13559.61**	**15016.47**	**15633.69**	**15796.72**	**16403.05**	**4.87**
खः मध्यवर्ती									
I : फाइबर मध्यवर्ती									
1. एक्रिलोनिट्रील (एसीएन)	41.00	41.00	41.00	33.70	1.94	0.00	0.00	0.00	–100.00
2. केप्रोलेक्टम	120.00	120.00	120.00	87.05	86.30	86.96	85.97	92.56	1.55
3. मोनो इथाइल ग्लाइकोल (एमईजी)	1153.40	1153.40	1153.40	1001.14	1158.97	1110.50	1132.65	1159.76	3.75
4. प्यूरीफाइड टेरेपेथेलिक एसिड (पीटीए)	3753.00	3753.00	3873.00	3755.28	3431.78	3390.56	3492.44	3404.93	–2.42
कुल फाइबर मध्यवर्ती	**5067.40**	**5067.40**	**5187.40**	**4877.16**	**4678.98**	**4588.01**	**4711.06**	**4657.25**	**–1.15**

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II : बिल्डिंग ब्लाक्स									
ओलेफिन									
1. इथाइलीन	4283.40	4233.40	4233.40	3191.90	3727.39	4021.73	4222.68	3831.89	4.67
2. प्रोपाइलीन	4745.63	4745.62	4745.62	3869.40	4456.69	4425.21	4457.91	4639.53	4.64
3. ब्यूटाडीन	433.00	433.00	433.00	239.45	343.45	347.36	332.38	385.76	12.66
कुल ओलेफिन	**9462.03**	**9462.03**	**9412.02**	**7300.74**	**8527.53**	**8794.29**	**9012.97**	**8857.18**	**4.95**
एरोमेटिकस									
1. बेंजीन	1566.15	1566.35	1566.35	1094.38	1332.59	1332.04	1318.03	1414.56	6.63
2. टोलीन	287.97	288.27	288.27	108.16	115.74	126.76	106.94	141.14	6.88
3. मिश्रित जायलीन	898.33	898.33	898.33	215.00	269.35	296.03	271.35	249.05	3.74
4. ओर्थो जायलीन	420.00	420.00	420.00	462.46	499.51	444.88	447.76	406.30	–3.18
5. पैराक्साइलीन	3131.70	3131.70	3131.70	2757.84	3266.36	3161.30	3194.52	3331.81	4.84
कुल एरोमे. टिक्स	**6304.15**	**6304.15**	**6304.65**	**4637.84**	**5483.55**	**5361.02**	**5338.60**	**5542.87**	**4.56**
कुल मध्य वर्ती									
(I+II)	**0833.58**	**20833.58**	**20904.07**	**16815.75**	**18690.06**	**18743.32**	**19062.62**	**19057.29**	**3.18**
ग: अन्य पेट्रो अधारित रसायन									
1. ब्यूटानॉल	26.00	26.00	26.00	4.20	11.08	12.47	17.39	21.69	50.73
2. सी4–रिफाईनेट	291.60	291.60	291.60	364.61	428.64	437.17	339.20	380.26	1.06
3. डायथाइलिन ग्लायकोल	84.50	84.50	83.30	100.96	114.24	108.24	105.70	107.41	1.56
4. डाइसोटोन अल्कोहल	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.21	4.07	
5. इथीलीन डाइक्लोराइड (उप उत्पाद)	593.20	593.20	593.20	285.30	277.35	282.57	282.35	339.20	4.42
6. 2–इथाइल हेक्सोनॉल ”	55.20	55.20	55.20	13.89	44.41	45.59	56.64	58.89	43.49
8. आइसोब्यूटोनॉल	2.80	2.80	2.80	0.67	1.86	1.96	2.23	2.21	34.65
9. आईसोप्रोपोनॉल (आईपीए)	70.00	70.00	70.00	74.98	71.18	72.47	71.83	58.27	–6.11

10. मिथाइल मेथाक्रायलेट (एमएमए)	4.38	4.38	4.38	3.47	2.28	0.54	2.83	3.99	3.56
11. पीथेलिक अनहाइड्राइड (पीएएन)	349.05	349.05	349.05	291.52	305.78	296.07	290.01	275.07	−1.44
12. प्रोपाइलिन ऑक्साइड (पीओ)	36.00	36.00	36.00	36.61	25.59	29.34	36.00	35.12	−1.03
13. प्रोपाइ. लिन ग्लायकोल (पीजी)	20.00	20.00	20.00	16.25	13.65	16.35	17.64	19.13	4.17
14. पॉलीविनाइल एसिटेट रेसिन	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. विनायल एसीटेट मोनोमर (वीएएम)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. विनायल क्लोराइड मोना. मर (वीसीएम) (उप उत्पाद)	541.30	541.30	541.30	717.88	790.71	791.26	777.98	803.62	2.86
17. पोलयोल	142.00	141.63	141.63	51.78	71.80	78.72	79.43	82.13	12.22
18. पीबीटी	'	'	'	0.50	0.50	0.61	0.58	1.29	26.60
19. पॉलिकार्बोनेट	'	'	'	0.16	0.17	0.15	0.09	0.12	−8.49
19. पॉलिकार्बोनेट	0	*	*	0	0	0	0	0	3.05
कुल अन्य पेट्रो आधारित रसायन	**2272.87**	**2272.87**	**2272.49**	**1962.81**	**2159.22**	**2173.50**	**2080.10**	**2192.46**	**2.80**

($) : सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के रूप में ब्राडवैंडिंग के अधीन पीएफवाई, एनएफवाई, एनआईवाई एवं पीपीएफवाई का उत्पादन करने वाली सभी इकाईयों की क्षमता नायलोन 6, 66 सहित क्षमता

($$) : केवल एनआईवाई और पीपीएफवाई का उत्पादन करने वाली सभी इकाइयों की स्वतंत्र क्षमता ।

चूंकि इन उत्पादों की क्षमता को भी सिंथेटिक, फिलामेंट यार्न क्षमता में शामिल किया गया है अंतः क्षमता के उपयोग की गणना नहीं की जा सकती है।

($$$) एलएलडीपीई एवं एचडीपीई दोनों का उत्पादन करने की संयुक्त क्षमता, अतः उपयोग की गणना नहीं की जा सकती है। तथापि, उत्पादन स्वतंत्र है ।

(**) : 2–ईएच के अधीन 2–ईएच, यूटोनॉल एवं आइसो यूटोनॉल की संयुक्त क्षमता दी गई है।

नोटः 1. उत्पादन और स्थापित क्षमता आंकड़े केवल बड़े और मध्यम पैमाने की इकाइयों से प्राप्त एमपीआर पर आधारित है।

अनुबंध–III

रोटरडेम कन्वेंशन के तहत खतरनाक रसायन

{कुल –50 रसायन, 34 कीटनाशक (3 गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक के फार्मूलेशन सहित), 15 औद्योगिक रसायन और कीटनाशक और औद्योगिक रासायनिक श्रेणियों, दोनों में 1 रसायन हैं।}

क्र. सं.	रसायन	श्रेणी
1	2,4,5–टी और उसके लवण और एस्टर	पेस्टीसाइड
2	एलाक्लोर	पेस्टीसाइड
3	एल्डीकार्ब	पेस्टीसाइड
4	एल्ड्रिन	पेस्टीसाइड
5	एज़िनफोस मिथाइल	पेस्टीसाइड
6	बाइनापैकराइल	पेस्टीसाइड
7	कैप्टाफॉल	पेस्टीसाइड
8	कार्बोफुरान	पेस्टीसाइड
9	क्लोरडेन	पेस्टीसाइड
10	क्लोरोडाईमेफार्म	पेस्टीसाइड
11	क्लोरोबेंजाइलेट	पेस्टीसाइड
12	डीडीटी	पेस्टीसाइड
13	डाईलड्रीन	पेस्टीसाइड
14	डिनाइट्रो–ऑर्थो–क्रोसोल (डीएनओसी) और उसके लवण (जैसे अमोनियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट और सोडियम साल्ट)	पेस्टीसाइड
15	दीनोज़ब और उसके लवण और एस्टर	पेस्टीसाइड
16	1,2–डीब्रोमोथेन (ईडीबी)	पेस्टीसाइड
17	एंडोसल्फान	पेस्टीसाइड
18	ईथीलीन डाइक्लोराइड	पेस्टीसाइड
19	इथिलीन ऑक्साइड	पेस्टीसाइड
20	फ्लूरोएसीटेमाइड	पेस्टीसाइड
21	एचसीएच (मिश्रित आइसोमर्स)	पेस्टीसाइड
22	हेप्टाक्लोर	पेस्टीसाइड
23	हेक्साक्लोरोबेंजीन	पेस्टीसाइड
24	लिंडेन (गामा–एचसीएच)	पेस्टीसाइड
25	अकार्बनिक मरकरी यौगिकों, अल्किल पारा यौगिकों और एल्किलॉयलॉलिक और एरिल पारा कंपाउंड सहित मरकरी कंपाउंड	पेस्टीसाइड

26	मेथामाइडोफोस	पेस्टीसाइड
27	मोनोक्रोटोफॉस	पेस्टीसाइड
28	पैराथियॉन	पेस्टीसाइड
29	पेंटैक्लोरोफिनॉल और उसके साल्ट और एस्टर	पेस्टीसाइड
30	टोक्सफेनी (कैम्फेक्लोर)	पेस्टीसाइड
31	ट्राइब्यूटाईलीन कंपाउंड	औद्योगिक रसायन/ पेस्टीसाइड
32	ट्राइक्लोरोफोन	पेस्टीसाइड
33	डस्टेबल पाउडर फॉर्मूलेशन जिसमें एक कांबिनेशन शामिल हैः 7% या उससे अधिक बिनोमाईल, 10% से ऊपर कार्बोफूरेन, 15% से अधिक या उससे ऊपर थिरम	गंभीर रूप से खत. रनाक कीटनाशक का फार्मूलेशन
34	19.5% एक्टिव इंग्रेडिएट पर मिथाइल–पैराथिऑन (इमल्सीफिएबल कंसंट्रेट) या 1.5% एक्टिव इंग्रीडिएंट पर या उससे ऊपर डस्ट	गंभीर रूप से खत. रनाक कीटनाशक का फार्मूलेशन
35	फॉस्फैमिडोन (1000 ग्राम सक्रीय घटक/एल से अधिक पदार्थ का सोल्यूएबल लिक्विड फार्मूलेशन)	गंभीर रूप से खत. रनाक कीटनाशक का फार्मूलेशन
36	एस्टीनोलाइलट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
37	एंथोफिलाईट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
38	एमोसाइट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
39	क्रोकिडोइलाइट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
40	ट्रीमोलाईट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
41	वाणिज्यिक ऑकटब्रोमोडिफेनील ईथर (हेक्साब्रोमो. डिफेनील ईथर और हेप्टोब्रोमोडिफेनील ईथर सहित)	औद्योगिक
42	वाणिज्यिक पेंटाब्रोमोडिफेनील ईथर (टेट्राब्रोमोडिफेनील ईथर और पेंटाब्रोमोडिफेनील ईथर सहित)	औद्योगिक
43	पेफ्लुओरयुक्टेन सल्फोनिक एसिड, पेफ्लुओरुक्टेन सल्फोनेट्स, पेफ्लुओरुक्टेटेन सल्फोमामाइड और पेफ्लुओरक्टेन सल्फ़ोनील	औद्योगिक
44	पॉलीब्रोमिनेटेड बायफनील (पीबीबी)	औद्योगिक
45	पोलिकिकोरिनेटेड बायफनील (पीसीबी)	औद्योगिक
46	पोलिकिकोरिनेटेड टेरफेनील (पीसीटी)	औद्योगिक
47	शॉर्ट–चेन क्लोरीनेट पैराफिन (एससीसीपी)	औद्योगिक
48	टेट्राईथाइल लेड	औद्योगिक
49	टेट्रामिथाइल लेड	औद्योगिक
50	ट्राइस (2,3–डायब्रोमोप्रोपिल) फॉस्फेट	औद्योगिक

अनुबंध – IV

रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग का संगठनात्मक चार्ट
(31.03. 2019 की स्थिति के अनुसार)

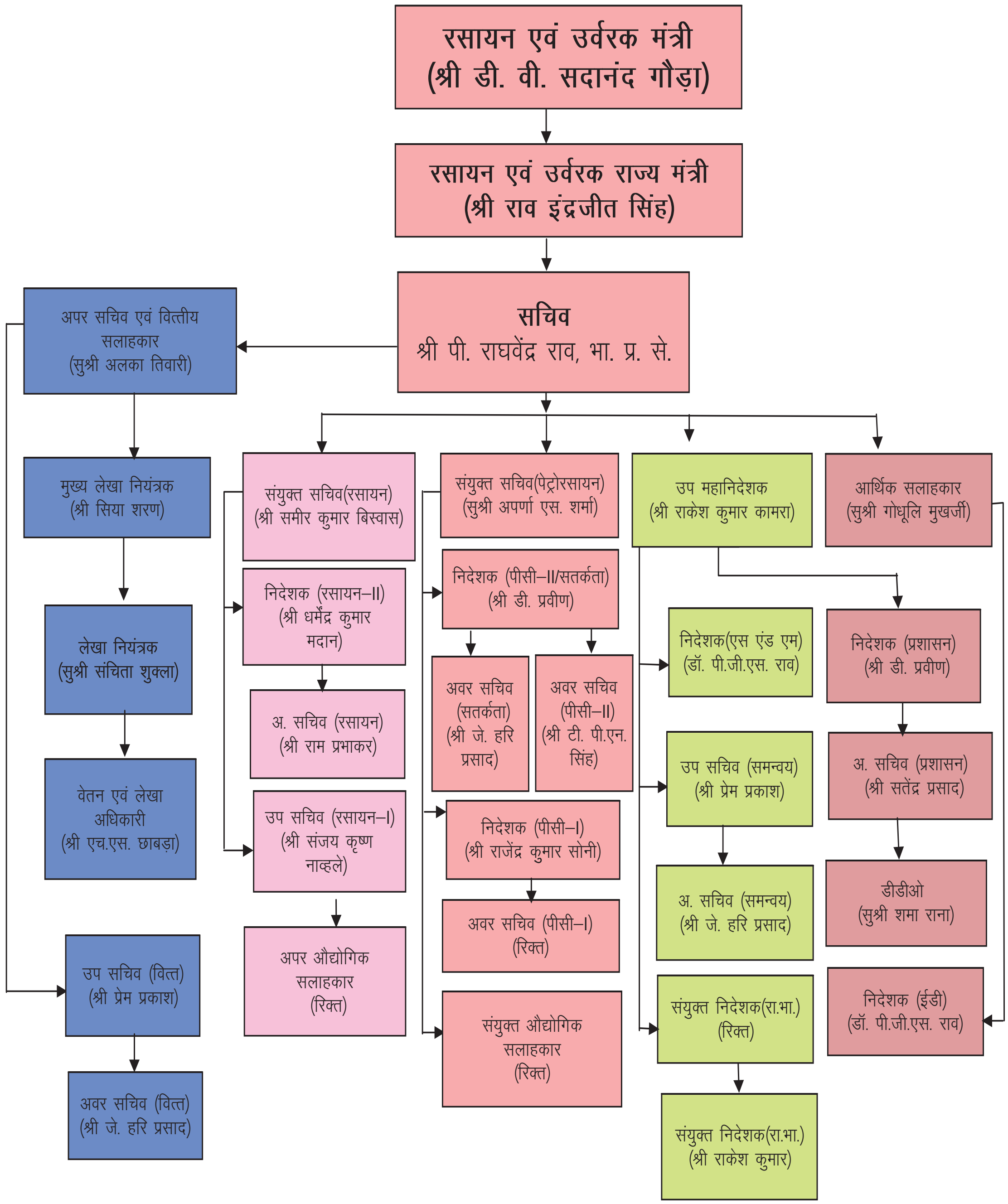

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली-110001
बेवसाइड : **www.chemicals.gov.in**
सुविधा काउंटर : **91-11-23384317**